



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

मूण्डवा मास्टर प्लान

(2010–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान, सरकार

आभार

मूण्डवा नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में मूण्डवा के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस नगर की विकास योजना में समर्पित किया है।

सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलक्टर नागौर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मूण्डवा का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी एवं चिकित्सा आदि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान बनाये जाने में सहयोग प्रदान किया है एवं आशा हैं कि भविष्य में शहर का विकास मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप करने में अपना सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे।



(श्रीगोपाल चित्तौडिया)

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर

विषय-सूची

अध्याय	क्रम संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
		आभार	
		विषय सूची	
		तालिका-सूची	
1		परिचय	1
2		विद्यमान विशेषताएं	4
	2.1	भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	4
	2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
	2.3	ऐतिहासिक	5
	2.4	जनांकिकी	6
	2.5	व्यावसायिक संरचना	7
	2.6	विद्यमान भू-उपयोग	8
	2.6.1	आवासीय	9
	2.6.1(अ)	आवासन	9
	2.6.1(ब)	कच्ची बस्तियां	10
	2.6.2	वाणिज्यिक	11
	2.6.3	औद्योगिक	12
	2.6.4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	13
	2.6.5	आमोद-प्रमोद	13
	2.6.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	14
	2.6.6(अ)	शैक्षणिक सुविधाएं	14
	2.6.6(ब)	चिकित्सा सुविधाएं	15
	2.6.6(स)	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	15
	2.6.6(द)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	16

	2.6.6(य)	जनोपयोगी सुविधाएं	16
	2.6.6(य)(i)	जलापूर्ति	16
	2.6.6(य)(ii)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	17
	2.6.6(य)(iii)	विद्युत आपूर्ति	17
	2.6.6(य)(iv)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	18
	2.6.7	परिसंचरण	18
	2.6.7(अ)	यातायात व्यवस्था	18
	2.6.7(ब)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	19
	2.6.7(स)	रेल एवं हवाई सेवा	19
3		नियोजन की संकल्पना	20
	3.1	नियोजन की नीतियां	21
	3.2	नियोजन के सिद्धान्त	22
4		भावी आकार	24
	4.1	जनांकिकी	25
	4.2	व्यावसायिक संरचना	26
	4.3	नगरीय क्षेत्र	27
	4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	28
	4.5	योजना क्षेत्र	28
	4.5.1	कोर योजना क्षेत्र	28
	4.5.2	पूर्वी योजना क्षेत्र	29
	4.5.3	पश्चिमी योजना क्षेत्र	30
	4.5.4	परिधि नियंत्रण पट्टी एवं आशिक अंगोर भूमि	30
5		भू-उपयोग योजना	31
	5.1	आवासीय	32
	5.1.1	आवासन	33

	5.1.2	अनौपचारिक सेक्टर के लिये आवास	33
	5.1.3	कच्ची बस्तियां	34
	5.2	वाणिज्यिक	34
	5.2.1	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	35
	5.2.2	थोक व्यापार एवं विशिष्ट बाजार	35
	5.2.3	भण्डारण एवं गोदाम	35
	5.2.4	वाणिज्यिक केन्द्र	36
	5.3	औद्योगिक	36
	5.4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	36
	5.5	आमोद-प्रमोद	37
	5.5.1	उद्यान एवं खुले स्थल	37
	5.5.2	खेल मैदान	37
	5.5.3	अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	37
	5.5.4	मेले एवं पर्यटन सुविधाएं	38
	5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	38
	5.6.1	शैक्षणिक सुविधाएं	38
	5.6.2	चिकित्सा सुविधाएं	39
	5.6.3	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	40
	5.6.4	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	40
	5.6.5	जनोपयोगी सुविधाएं	40
	5.6.5(अ)	जलापूर्ति	40
	5.6.5(ब)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन	41
	5.6.5(स)	विद्युत आपूर्ति	41
	5.6.5(द)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	42
	5.7	परिसंचरण	42

	5.7.1	प्रस्तावित यातायात संरचना	42
	5.7.1(अ)	सड़कों का मार्गाधिकार	43
	5.7.1(ब)	सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार	44
	5.7.1(स)	पार्किंग स्थलों का विकास	44
	5.7.1(द)	चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण	44
	5.7.2	बस अड्डा तथा यातायात नगर	44
	5.7.2(अ)	बस अड्डा	44
	5.7.2(ब)	यातायात नगर	45
	5.7.3	रेल एवं हवाई सेवा	45
	5.8	जलाशय, वन भूमि एवं अंगोर भूमि	45
	5.9	परिधि नियंत्रण पट्टी	46
	5.10	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	46
6		योजना का क्रियान्वयन	47
	6.1	वर्तमान आधार	47
	6.2	प्रस्तावित आधार	48
	6.3	जन सहयोग एवं जन सहभागिता	49
	6.4	भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	49
	6.5	योजना का क्रियान्वयन	49
	6.6	उपसंहार	50
	परिशिष्ट:-		
1	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम – 1959 (मास्टर प्लान)		51
2	राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम – 1962 के उद्घरण		53
3	नगरीय क्षेत्र अधिसूचना दिनांक 20.07.2010		55
4	राज्य सरकार से अनुमोदन की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2012		56

तालिका –सूची

क्रम संख्या	तालिका का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति – मूण्डवा – 1901–2001	6
2	श्रमिक वर्गीकरण, मूण्डवा 1991–2001	7
3	व्यावसायिक संरचना, मूण्डवा 1991–2010	8
4	विद्यमान भू-उपयोग, मूण्डवा–2010	9
5	मूण्डवा नगर की कच्ची बस्तियों की सूची–2010	11
6	औद्योगिक इकाइयां, मूण्डवा	12
7	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, मूण्डवा–2010	13
8	शैक्षणिक संरचना, मूण्डवा – 2010	14
9	चिकित्सा सुविधाएं, मूण्डवा – 2010	15
10	जलापूर्ति, मूण्डवा – 2010	17
11	विद्युत आपूर्ति, मूण्डवा–2010	18
12	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, मूण्डवा–1981–2031	26
13	व्यावसायिक संरचना, मूण्डवा–2001–2031	27
14	योजना क्षेत्र, मूण्डवा–2031	28
15	प्रस्तावित भू-उपयोग, मूण्डवा–2031	32
16	प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, मूण्डवा–2031	35
17	अनुमानित शैक्षणिक संरचना, मूण्डवा–2031	39
18	विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई, मूण्डवा–3031	43
19	सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, मूण्डवा–2031	43

परिचय

मूण्डवा राष्ट्रीय राजमार्ग 89 एवं राज्य राजमार्ग 39 पर स्थित नागौर जिले का एक महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर जिला मुख्यालय नागौर से 20 कि.मी. एवं सम्भागीय मुख्यालय अजमेर से 132 कि.मी. की दूरी पर मध्य राजस्थान में 27°4' उत्तरी अक्षांश एवं 73°49' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 335 मीटर है। मूण्डवा नगर में बड़ी रेलवे लाईन का मारवाड़-मूण्डवा रेलवे स्टेशन है। मूण्डवा से 136 कि.मी. दूरी पर जोधपुर हवाई अड्डा है। मूण्डवा नगर की स्थापना विक्रम संवत् 1123 की वैशाख शुक्ला तृतीया (अक्षय तृतीया) को जोधपुर रियासत के अधीन मुण्डेल नामक व्यक्ति ने की थी। इसी आधार पर उक्त नगर का नाम मूण्डवा रखा गया है। इससे पूर्व मूण्डवा खालसा गाँव कहलाता था।

यहां पर उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय नहीं है, नागौर जिले की कुल दस नगरपालिकाओं में मूण्डवा नगरपालिका 'डी' श्रेणी की है। यहां वर्ष 2001 में जनसंख्या 16017 थी, जिसके अनुसार यह चतुर्थ श्रेणी का नगर है।

मूण्डवा नगर का मौसम शुष्क रहता है। यहां गर्मियों में अधिकतम तापमान 45.4⁰ सैन्टीग्रेट तथा सर्दियों में न्यूनतम तापमान 0.80 सैन्टीग्रेट दर्ज किया गया है।

यह नागौर जिले के अन्य नगरों यथा कुचेरा, डीडवाना, परबतसर, मेड़ता, डेगाना, जायल, लाडनूं इत्यादि से सड़क मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ा हुआ है। यह राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 437 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यहां पर मुख्यतः बाजरा, गेहूं, सरसों, ज्वार, मूंग, मोठ, तिलहन एवं सब्जियां इत्यादि की खेती होती हैं। यहां की नागौरी मैथी देश भर में विख्यात है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वर्ष 1976 से नगर पालिका बोर्ड द्वारा मूण्डवा नगर का विकास किया जा रहा है। यहां वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाक घर, दूर संचार, रेलवे स्टेशन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्युत वितरण

निगम लि० एवं कृषि उपज मण्डी के कार्यालय स्थित हैं। मूण्डवा नगर का विकास सुनियोजित रूप से नहीं होने, सड़कों की चौड़ाई कम होने, नालियों का निर्माण एवं यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होने के कारण आवागमन में बाधा आती रहती है। मूण्डवा नगर में स्थाई व सुनियोजित बस स्टैण्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण यातायात अव्यवस्थित रहता है जिसके कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।

पीने के पानी में टीडीएस व नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक होने के कारण पेयजल की समस्या गंभीर है। वर्तमान में पेयजल की सप्लाई 8 नलकूपों के माध्यम से की जा रही है।

मूण्डवा नगर के विकास के साथ-साथ यहां विभिन्न नगरीय समस्याओं में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में नगरपालिका के द्वारा कचरा निस्तारण, जल-मल निकास (सीवरेज), अग्निशमन सेवाएं इत्यादि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उक्त संदर्भ में ही नगर नियोजन विभाग द्वारा शहर की भावी योजना बनाने के उद्देश्य से मूण्डवा नगर का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक प. 10(125) न.वि.वि./3/2010 जयपुर, दिनांक 20 जुलाई 2010 को एक अधिसूचना जारी कर कुचेरा राजस्व ग्राम सहित 8 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कुचेरा नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को अधिकृत किया गया। उक्त निर्देशों की पालना में मूण्डवा नगर का मास्टर प्लान का यह प्रारूप तैयार किया गया है। यह मास्टर प्लान आगामी 20 वर्ष के लिए नगरीय क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकताओं को दिशा निर्देश देता है।

कस्बे का मास्टर प्लान उसके भावी विकास को निर्देशन एवं वर्तमान समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से है तथा किया जाता है ताकि वहां के नागरिकों को स्वस्थ एवं सुखद जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि वहां के नागरिकों को इसे समझने एवं स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलें। इसी बिन्दू को दृष्टिगत रखते हुए नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु इस शहर का मास्टर प्लान प्रारूप प्रकाशित किया गया ताकि इस शहर के नागरिक स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त कर अपने

सुझाव प्रस्तुत कर सके। प्रारूप मास्टर प्लान में दिये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में सभ प्रकार की आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया।

मूण्डवा मास्टर प्लान के प्रारूप पर 11 आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुए। जिनके अन्तर्गत कुल 57 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव दर्ज किये गये। सभी आपत्ति/सुझावों का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण एवं स्थल निरीक्षण कर जांच के उपरान्त 09 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 03 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत योग्य, 18 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य तथा 27 आपत्ति/सुझाव में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार मूण्डवा प्लान के नगरीय क्षेत्र मानचित्र तथा भू-उपयोग मानचित्र-2031 में स्वीकृत, आंशिक स्वीकृत आपत्ति/सुझाव के मद्देनजर वांछित परिवर्तन करते हुए मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।



(श्रीगोपाल चित्तौडिया)
वरिष्ठ नगर नियोजक
अजमेर जोन, अजमेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक : प.10(125) नविआ/3/2010 जयपुर, दिनांक 18 सितम्बर, 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है (परिशिष्ट-4)

विद्यमान विशेषताएं

यह आवश्यक है कि भविष्य में नगर के सुनियोजित विकास हेतु नीति निर्धारण करने एवं प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व नगर की भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य, इतिहास, जनांकिकी, विद्यमान भू-उपयोग एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का अध्ययन किया जाए।

2.1 भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु

मूण्डवा मध्य राजस्थान में 27° 4' उत्तरी अक्षांश एवं 73° 49' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह नगर जिला मुख्यालय नागौर से 20 कि.मी., सम्भागीय मुख्यालय अजमेर से 132 कि.मी. एवं राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से 267 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 335 मीटर है।

यहां की जलवायु अत्यधिक शुष्क एवं तापमान में वार्षिक असमानता रहती है। यहां का तापमान मार्च से जून तक तीव्रता से बढ़ता है एवं इस समय गर्मी का मौसम रहता है। यहां मध्य नवम्बर से फरवरी के शुरुआत तक सर्दियों का मौसम रहता है। मूण्डवा नगर का तापमान गर्मियों में लगभग 22° से 45° सेंटीग्रेट के मध्य तथा सर्दियों में 2° से 29° के मध्य रहता है। यहां गर्मियों में अधिकतम तापमान 45.4° सेंटीग्रेट तथा सर्दियों में न्यूनतम तापमान 0.80 डिग्री सेंटीग्रेट दर्ज किया गया है। सामान्यतया यहां गर्मियों में रेतीले तूफान आते हैं। यहां की वर्षा में भी असमानता रहती है। यहां वर्षा मुख्यतः जुलाई से सितम्बर के मध्य तक होती है। यहां नगर की औसत वार्षिक वर्षा 348.30 मि.मी. है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

मूण्डवा में प्रथम नगरपालिका बोर्ड का गठन 1976 में हुआ। मूण्डवा नगरपालिका क्षेत्र लगभग 13 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। मूण्डवा समतल मैदानी भाग में स्थित है। नगर के दक्षिण दिशा में स्थित लाखोलाव तालाब मूण्डवा में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केन्द्र है। इसके अतिरिक्त ज्ञान तालाब, नृसिंह मन्दिर एवं शिव मन्दिर भी पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केन्द्र हैं। नगर का सामान्य ढलान नगर के मध्य से बाहर की चारों दिशाओं में एक समान है। नगर में लगभग 83 मन्दिर एवं 9 मस्जिदें हैं जिनमें दर्शनार्थी निरन्तर आते रहते हैं। लाखोलाव तालाब के चारों ओर करीब 30 मन्दिर और उद्यान है,

जिससे तालाब मनोरम लगता है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वर्षाकाल में यहां मूण्डवा के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों के विशेषकर जिला मुख्यालय नागौर के लोगों का पिकनिक और सैर-सपाटे के लिए आना-जाना लगा रहता है। नगर में किसी भी प्रकार के पुरातत्व के अवशेष नहीं हैं।

मूण्डवा के कुचेरा रोड़ पर कृषि मण्डी स्थित है। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में मूण्डवा नगर औद्योगिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यहां पर रीको द्वारा अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड को 195 हैक्टेयर अविकसित भूमि को सीमेन्ट परियोजना हेतु आवंटन किया हुआ है।

व्यापारिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से यह मुख्य रूप से खेतीहर मजदूरों का क्षेत्र है। यहां की अधिकतम जनसंख्या खेती पर ही आश्रित है, जनसामान्य खेती करके ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहां मुख्यतः बाजरा, गेहूं, सरसों, मूंग, मोठ, ज्वार, तिलहन एवं सब्जियां इत्यादि की फसलें उत्पादित होती हैं। यहां पर सिंचाई का साधन ट्यूबवैल आदि हैं।

2.3 ऐतिहासिक

मूण्डवा नगर का इतिहास काफी पुराना है। मूण्डवा नगर की स्थापना विक्रम संवत् 1123 की वैशाख शुक्ला तृतीया (अक्षय तृतीया) को हुई थी। इसकी स्थापना जोधपुर रियासत के अधीन मण्डोर के मुण्डेल नामक व्यक्ति ने की थी इस कारण इस नगर का नाम मूण्डवा पड़ गया। मूण्डवा इससे पूर्व खालसा गाँव कहलाता था। इसी नगर में इतना ही प्राचीन ऐतिहासिक लाखोलाव तालाब है। इस तालाब की खुदाई यहां के भामाशाह लाखाजी बंग ने विक्रम संवत् 1159 में करवाई थी। इस तालाब को खोदने का कार्य लखी नामक बणजारे ने किया था। ऐसी मान्यता है कि यदि यह तालाब एक बार भर जाए तो इसका पानी एक लाख लोग निर्बाध रूप से एक वर्ष तक पीने के काम में ले सकते हैं। अपने आकार में यह तालाब काफी विशाल होने के साथ-साथ पूर्व में आस-पड़ौस के करीब 100 गांवों को पानी मुहैया करवाता था। आज भी इस तालाब पर नगर की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या आश्रित है। इस तालाब के चारों ओर करीब 30 मन्दिर और उद्यान हैं जिससे तालाब मनोरम लगता है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मूण्डवा की एक ओर विशेषता यह है कि लाखोलाव तालाब के अलावा यहां तीन तालाब और भी स्थित हैं जिनके नाम क्रमशः ज्ञान तालाब, पोखण्डी तालाब और मोटेलाव तालाब हैं। इसी नगर में ऐतिहासिक गिरिराज मन्दिर है जो लाखोलाव तालाब के किनारे पर स्थित है, ऐसी मान्यता है कि नागौर के किले से हाडा रानी रोजाना भोजन से पूर्व अपनी दूरबीन से इस मन्दिर के दर्शन किया करती थी। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में, जाना शहीद पीर की दरगाह, ज्ञान तालाब स्थित नृसिंह मन्दिर, शीतला माता का

मन्दिर आदि हैं। इनकी अपनी-अपनी मान्यताएं भी हैं। यहां के अन्य मन्दिर में चारभुजा, वैकटेश मन्दिर, काली रीठी, हनुमानजी की बगीची जो ऊंचे टीबे पर स्थित है भी काफी प्रसिद्ध हैं। यहां पर प्रथम नगरपालिका बोर्ड का गठन 1976 में हुआ। इस नगर में मुख्यतः माहेश्वरी समुदाय की अधिकता है। मूण्डवा में ऐतिहासिक इमारत नहीं बनी हुई है।

2.4 जनांकिकी

मूण्डवा नगर में वर्ष 1981 में मात्र 10904 जनसंख्या थी जो वर्ष 1991 में बढ़कर 12521 हो गई। इस दशक में वृद्धि दर 14.83% रही। वर्ष 2001 में कस्बे की जनसंख्या 16017 दर्ज की गई। वर्ष 2010 में उक्त नगर की जनसंख्या लगभग 19000 होने का अनुमान है। नगरीयकृत क्षेत्रफल 184.48 हैक्टेयर है तथा यहां का जनसंख्या घनत्व 103 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है। मूण्डवा कस्बे की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1:
जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति-1901-2010

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि दर
1901	5121	—	—
1911	5027	-(94)	-(1.84)
1921	4254	-(773)	-(15.38)
1931	5234	980	23.04
1941	5779	545	10.41
1951	5759	-(20)	-(0.35)
1961	—	—	—
1971	—	—	—
1981	10904	—	—
1991	12521	1617	14.83
2001	16017	3496	27.92
2010*	19000	2983	18.62

स्रोत :- जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान*

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से 1921 एवं 1941-51 के दशकों में नकारात्मक एवं 1951 से 2010 के दशकों में सकारात्मक रही है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार नगर में लिंगानुपात 952 है। यह अनुपात जिला मुख्यालय नागौर (947) एवं राष्ट्रीय स्तर (933) तथा राज्य स्तर (921) से अधिक है।

2.5 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मूण्डवा नगर में कार्यरत व्यक्तियों की सहभागिता का अनुपात कुल जनसंख्या का 38.06 प्रतिशत है। इस नगर में कुल कार्यशील जनसंख्या में से 29.93 प्रतिशत मुख्य श्रमिक एवं 8.13 प्रतिशत सीमान्त श्रमिकों के श्रेणी में दर्ज है। तालिका संख्या 2 दर्शाती है कि वर्ष 1991 में 73.95% गैर श्रमिक थे जो कि वर्ष 2001 में कम होकर 61.94% रह गये। इससे यह प्रमाण मिलता है कि मूण्डवा नगर में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। मूण्डवा नगर प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र नहीं होने के कारण केवल 222 व्यक्ति, जो कि वर्ष 2001 की कुल जनसंख्या का 1.38% है, अन्य सेवाओं में कार्यरत थे।

तालिका 2:

श्रमिक वर्गीकरण, मूण्डवा 1991-2001

श्रमिक	श्रमिकों की संख्या		प्रतिशत	
	1991	2001	1991	2001
मुख्य श्रमिक	3245	4794	25.92	29.93
सीमान्त श्रमिक	16	1302	0.13	8.13
गैर श्रमिक	9260	9921	73.95	61.94
योग	12521	16017	100.00	100.00

स्रोत: जनगणना, भारत सरकार

मूण्डवा की व्यावसायिक संरचना के वर्गीकरण में वर्ष 2001 में अधिकतर जनसंख्या 39.42 प्रतिशत काश्तकार थे एवं 17.57 प्रतिशत खेतीहर मजदूर थे तथा 3.36 प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योगों में कार्यरत थे। इससे स्पष्ट होता है कि मूण्डवा में कृषि क्षेत्र ही व्यावसायिक संरचना का मुख्य आधार था। आधार वर्ष 2010 में सर्वेक्षण अनुसार 6840 कामगारों का अनुमान किया गया है जिसका अनुमानित जनसंख्या से सहभागिता अनुपात लगभग 36 प्रतिशत है। मूण्डवा कस्बे के अन्तर्गत आधार वर्ष में काश्तकार 2610, कृषि मजदूर 1542, घरेलू उद्योग श्रमिक 185 तथा अन्य श्रमिक 2503 होने का आंकलन किया गया है। जो कुल कामगारों का क्रमशः 38.16%, 22.54%, 2.70% तथा 36.66% है।

तालिका 3:
व्यावसायिक संरचना, मूण्डवा 1991-2010

क्र. सं.	व्यवसाय	1991		2001		2010*	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत
1	काश्तकार, वानिकी इत्यादि	953	47.34	2403	39.42	2610	38.16
2	कृषि मजदूर	316	15.69	1071	17.57	1542	22.54
3	घरेलु उद्योग श्रमिक	242	12.03	205	3.36	185	2.70
4	अन्य श्रमिक	502	24.94	2417	39.65	2503	36.60
कुल		2013	100.00	6096	100.00	6840	100.00
	सहभागिता अनुपात	16.08%		38.06%		36%	
	जनसंख्या	12521		16017		19000	

स्रोत: जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान*

2.6 विद्यमान भू – उपयोग

मूण्डवा नगरपालिका का कुल क्षेत्रफल 1300 हैक्टेयर है, जिसमें से 184.48 हैक्टेयर क्षेत्र नगरीयकृत क्षेत्र है। इसमें से 158.74 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित क्षेत्र है तथा शेष 25.74 हैक्टेयर क्षेत्र कृषि, रिक्त, जलाशय आदि के अन्तर्गत है। कुल विकसित क्षेत्र का 101.11 हैक्टेयर अर्थात् 63.69 प्रतिशत आवासीय उपयोग में आ रहा है। वाणिज्यिक गतिविधियों में 3.38 हैक्टेयर क्षेत्र है, जो विकसित क्षेत्र का 2.13 प्रतिशत है, ये व्यावसायिक क्षेत्र मुख्यतः वार्ड 1, 2 एवं 8 में है। नगरीयकरण क्षेत्र में अम्बुजा औद्योगिक ईकाई की 32.35 हैक्टेयर भूमि आती है। इसके अतिरिक्त नगर में मध्यम/लघु श्रेणी के उद्योग हैं, जो कि 3.68 हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित हैं। नगर में आमोद-प्रमोद के साधनों की कमी है तथा केवल 3.59 हैक्टेयर भूमि ही उद्यान, खेल-मैदान आदि मनोरंजन के साधनों हेतु उपलब्ध है। परिसंचरण के अन्तर्गत 0.13 हैक्टेयर भूमि है। यहां पर स्कूल स्तर के शैक्षणिक संस्थानों एवं मन्दिरों की अधिकता है। अतः 7.86 प्रतिशत भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत है। मूण्डवा के उत्तरी-पूर्वी दिशा में बाई-पास के साथ प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र के बाहर लाईम स्टोन

खनिज उत्पादन क्षेत्र स्थित है, जो कि पूर्व में एम.जी.टी. कम्पनी को लीज पर आवंटित किया गया था। वर्तमान में इस क्षेत्र में खनिज उत्पादन का कार्य बंद है। विद्यमान भू-उपयोग 2010 का विवरण तालिका-4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4:
विद्यमान भू-उपयोग, मूण्डवा-2010

क्र.सं.	भू - उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	101.11	63.69	54.81
2	वाणिज्यिक	3.38	2.13	1.83
3	औद्योगिक	36.03	22.70	19.53
4	राजकीय	2.03	1.28	1.10
5	आमोद-प्रमोद	3.59	2.26	1.95
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	12.47	7.86	6.76
7	परिसंचरण	0.13	0.08	0.07
कुल विकसित क्षेत्र		158.74	100.00	86.05
8	कृषि	13.16	—	7.13
9	रिक्त	0.13	—	0.07
10	जलाशय	12.45	—	6.75
कुल नगरीयकृत क्षेत्र		184.48	—	100.00

स्रोत: सर्वेक्षण

2.6.1 आवासीय

2.6.1 (अ) आवासन

मूण्डवा को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है। यहां पर लगभग 3279 मकान हैं। नगर में अधिकतम घनत्व वाला वार्ड नं. 10 है जिसमें श्मशान घाट, विद्युत सब स्टेशन स्थित है, वार्ड संख्या 6 से 9 एवं 12 से 14 में औसत घनत्व लगभग 100 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है शेष अन्य वार्ड यथा वार्ड संख्या 1 से 5, 11 से 15 एवं 16 से 20 में औसत घनत्व 50 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से कम है। इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश भूमि खाली पड़ी है। उपरोक्त समस्त वार्ड नगर के पुराने

बसे हुए क्षेत्र के भाग हैं। वार्ड संख्या 1 में अम्बुजा सीमेन्ट प्रा० लि० को आवंटित भूमि एवं वाटर वर्क्स स्थित है। वार्ड संख्या 2 में रेलवे स्टेशन, मोटोलाव तालाब, बस स्टैण्ड, सीनियर सैकण्डरी स्कूल, केमिकल्स लाईन कार्यालय, पुलिस थाना, पोस्ट ऑफिस, वार्ड संख्या 3 एवं 4 में लाखोलाव तालाब, गिरिराज मन्दिर, वार्ड संख्या 6 में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वार्ड संख्या 7 में गौशाला, 8 में स्कूल, 12 में धर्मशाला इत्यादि स्थित हैं। नगर के बाहरी क्षेत्रों में नई कॉलोनियों का विकास हो रहा है। इन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है तथा आबादी घनत्व भी नगण्य के बराबर है।

मूण्डवा नगर में आवासीय क्षेत्रों की बनावट एवं बसावट में काफी भिन्नता है। पुराना नगर बहुत घना बसा हुआ है तथा सड़कें घुमावदार एवं कम चौड़ाई की हैं। कहीं-कहीं तो इनकी चौड़ाई 3-5 मीटर की ही है। मूण्डवा के उत्तर-पश्चिम दिशा में बाईपास बनने से पूर्व में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-89 पर विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों, विद्यालय, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्ग इत्यादि के कारण सड़कें अपेक्षाकृत चौड़ी हैं परन्तु सड़कों पर निर्मित भवनों में सेट बेक नहीं है। मूण्डवा नगर में सीवरेज सुविधा उपलब्ध नहीं है। जल निकास हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र में नालियों एवं नालों की स्थिति ठीक नहीं है।

2.6.1 (ब) कच्ची बस्तियां

मूण्डवा नगर में कुल 12 कच्ची बस्तियां हैं जो कि मुख्यतया, अजमेर रोड़, पालडी-जोधा रोड़, खजवाना रोड़, रेलवे स्टेशन के नजदीक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय के नजदीक एवं नगर से रोल को जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्थित हैं। जिनमें लगभग 960 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। इन कच्ची बस्तियों में पक्की सड़क, नाली, सीवरेज व रोशनी की व्यवस्था नहीं है। अधिकतम कच्ची बस्तियां मूण्डवा नगर की गैर मुमकिन अगौर भूमि पर बसी हुई हैं। नगरपालिका द्वारा समय-समय पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत कच्ची बस्तियों में विकास कार्य किये जाते हैं। जिनमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रमुख है परन्तु अभी अधिकांश बस्तियों में इन सुविधाओं का अभाव है। कच्ची बस्तियों का विवरण तालिका-5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5:
मूण्डवा नगर की कच्ची बस्तियों की सूची (चिन्हित वर्ष 2010)

क्रम संख्या	कच्ची बस्ती का नाम	वार्ड संख्या
1	नायकों की बस्ती	3
2	बावरियों की बस्ती	16
3	छोटी रिडी	16
4	झोपड़ों की गली, रोल मार्ग	16
5	जोगियों की बस्ती	4
6	करण नाडी के पास	4
7	इन्द्रा कॉलोनी	15
8	मूण्डवा रोड़	15
9	पालडी जोधा रोड़	15
10	जी.एल.आर. के पास	18
11	वॉटर वर्क्स के पास	20
12	बावरियों का बास	15

स्रोत: नगरपालिका, मूण्डवा।

2.6.2 वाणिज्यिक

मूण्डवा नगर में घरेलू उपयोग की वस्तुओं का खुदरा व्यापार होता है। यहां वार्ड नं. 2 एवं 8 में खुदरा बाजार है। इन बाजारों में सड़कों की चौड़ाई 3 से 3.5 मीटर तक है।

यहां वार्ड नं. 15 में कुचेरा रोड़ पर कृषि उपज मण्डी है जो 4.5 हैक्टेयर क्षेत्र में है। कृषि मण्डी के अलावा किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।

मूण्डवा नगर में किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक स्मारक नहीं होने के कारण यहां पर पर्यटकों की संख्या नगण्य है जिसके कारण इस नगर में होटल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां पर नगरपालिका रोड़ पर वार्ड संख्या 19 में एक पेट्रोल पम्प है। नगर में व्यवसाय मुख्यतः रेलवे स्टेशन रोड़ एवं अस्थाई बस स्टैण्ड के पास रेलवे स्टेशन रोड़ से अजमेर को जाने वाली सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं। कुछ व्यावसायिक गतिविधियां वार्ड नं. 8 में चारभुजा चौक के आस-पास संचालित है। वर्ष 2010 के विद्यमान भू-उपयोग में व्यावसायिक क्षेत्र 3.38 हैक्टेयर है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 2.13 प्रतिशत है।

2.6.3 औद्योगिक

मूण्डवा में अम्बुजा सीमेन्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य प्रमुख औद्योगिक इकाई नहीं है। यह नगर मुख्य रूप से खेतीहर मजदूरों का इलाका है। यहां की अधिकतम जनसंख्या खेती पर ही आश्रित है। जन सामान्य खेती करके ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहां मुख्यतः बाजरा, गेहूँ, सरसों, ज्वार, मूँग, मोठ, तिलहन, सब्जियाँ आदि की पैदावार होती है। यहां की नागौरी मेथी देशभर में विख्यात है। यहां पर कृषि कार्य हेतु ट्यूबवैलों के माध्यम से भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है।

अभी हाल ही में किए गए सर्वेक्षण, नगर पालिका एवं रीको, नागौर से एकत्रित की गई सूचना के अनुसार यहां पर रीको द्वारा अम्बुजा सीमेन्ट लि० को 195 हैक्टेयर अविकसित भूमि आवंटित की गई है जिस पर सीमेन्ट उद्योग की स्थापना प्रस्तावित है। नगर में वार्ड संख्या 7 में जगदम्बा इण्डस्ट्रीज व वार्ड संख्या 20 में हनुमन्त सीमेन्ट के 2 छोटे उद्योग हैं, जगदम्बा इण्डस्ट्रीज कुल 0.04 हैक्टेयर में स्थापित है जिसमें 10 कामगार कार्यरत हैं एवं हनुमन्त सीमेन्ट फैक्ट्री जो कि कुल 16000 वर्ग मी. क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें कुल कामगारों की संख्या 100 है। वर्ष 2010 के विद्यमान भू-उपयोग में औद्योगिक क्षेत्र 36.03 हैक्टेयर है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 22.70 प्रतिशत है।

उपरोक्त उद्योगों के अतिरिक्त उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अन्य औद्योगिक इकाइयां भी इस कस्बे में विद्यमान हैं, जिनको तालिका-6 में दर्शाया गया है।

तालिका 6:
औद्योगिक इकाइयां, मूण्डवा-2010

क्रम संख्या	औद्योगिक इकाइयों के प्रकार	इकाइयों की संख्या	इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	कृषि आधारित	1	8
2	वन उपज आधारित	1	2
3	पशुधन आधारित	3	6
4	खनिज आधारित	1	1
5	अभियांत्रिक आधारित	5	10
6	वस्त्र उद्योग आधारित	2	4
7	रसायन आधारित	—	—
8	अन्य	1	1
	योग	14	32

स्रोत: जिला उद्योग केन्द्र, नागौर

2.6.4 सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

यहां कुल कार्यालयों में से केन्द्रीय सरकार के 3 कार्यालय लगभग 10.05 हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित है। वार्ड न. 2 में एक पोस्ट ऑफिस एवं रेलवे स्टेशन तथा वार्ड न. 19 में एक बी.एस.एन.एल का कार्यालय संचालित है। यहां पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 45 है।

नगर के वार्ड नं. 5 में 4 राज्य सरकार के कार्यालय हैं जिनके अन्तर्गत उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, आंगन बाड़ी एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय हैं। समस्त कार्यालय लगभग 5.14 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। इनमें लगभग 41 कर्मचारी कार्यरत हैं। अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में यहां पर नगरीय विकास विभाग के अधीन नगरपालिका कार्यालय व पंचायती राज विभाग के अधीन मूण्डवा पंचायत समिति कार्यालय, अजमेर विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगम कार्यालय संचालित है जो लगभग 9.61 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। इनमें लगभग 97 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके अलावा यहां 4 बैंक हैं जो लगभग 0.15 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें लगभग 39 कर्मचारी कार्यरत हैं।

तालिका 7 में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों का विवरण दिया गया है।

तालिका 7:

सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, मूण्डवा

क्र.सं.	कार्यालय की श्रेणी	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1	केन्द्र सरकार	3	45
2	राज्य सरकार	4	41
3	अर्द्ध सरकारी	3	97
4	अन्य कार्यालय	4	39
	योग	14	222

स्रोत: सर्वेक्षण

2.6.5 आमोद-प्रमोद

वर्तमान में मूण्डवा में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत केवल 3.59 हैक्टेयर भूमि विकसित है जो कुल विकसित क्षेत्र का 2.26 प्रतिशत है। इस उपयोग के लिए कम भूमि का होना यहां पर इन साधनों की कमी का होना दर्शाता है। अभी हाल ही में किए गए सर्वेक्षण तथा नगर पालिका, मूण्डवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में कोई सामुदायिक पार्क की भी उपलब्धता नहीं है। मूण्डवा नगर में कोई स्टेडियम नहीं है तथा यहां वार्ड नं. 2 में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालय में एक खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.25 हैक्टेयर है। नगर में वर्तमान में अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन हेतु कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां पर नगर पालिका एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से धार्मिक, योगिक एवं नागरिक जागरूकता हेतु समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

मूण्डवा नगर में प्रति वर्ष विजयादशमी एवं गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मेले के आयोजन किये जाते हैं, जो आश्विन एवं भाद्रपद माह में आयोजित होते हैं। नगर के दक्षिण दिशा में स्थित लाखोलाव तालाब पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा ज्ञान तालाब, नृसिंह मन्दिर एवं शिव मन्दिर भी पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केन्द्र हैं। लोगों में धार्मिक, सामाजिक एवं आपसी सहयोग की भावनाएं जाग्रत करने के लिए उपरोक्त मेलों का काफी महत्व माना जाता है।

2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 12.47 हैक्टेयर भूमि आती है जो कुल विकसित क्षेत्र का 7.86 प्रतिशत है। इस उपयोग के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं सम्मिलित हैं।

2.6.6 (अ) शैक्षणिक सुविधाएं

मूण्डवा नगर के विकास के साथ यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। यहां पर आस-पास के गांवों के अनेक विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। यहां का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से स्थापित है। वर्ष 2010 की शैक्षणिक संरचना को तालिका 8 में दर्शाया गया है।

तालिका 8:

शैक्षणिक संरचना, मूण्डवा-2010

क्र.सं.	विद्यालयों के प्रकार	आयु समूह	विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय में औसत विद्यार्थियों की संख्या
1	प्राथमिक	5-10	2733	6	456
2	उच्च प्राथमिक	11-13	1633	3	554
3	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक	14-17	911	8	114
	योग		5277	17	310

स्रोत: शिक्षा विभाग, मूण्डवा

उपरोक्त तालिका के अनुसार मूण्डवा में 6 प्राथमिक, 3 उच्च प्राथमिक, एवं 8 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। यहां पर प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कुल संख्या 2733 है एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या लगभग 1633 है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की संख्या 911 है। मूण्डवा नगर में सरकारी विद्यालयों की संख्या 7 तथा प्राइवेट विद्यालयों की संख्या 10 है। यहां पर संस्कृत शिक्षा भी अध्ययन करवाया जाता है, परन्तु विज्ञान संकाय हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त विद्यालयों के साथ-साथ यहां पर 3 व्यावसायिक शिक्षा के केन्द्र भी हैं, जिनके नाम क्रमशः वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान, सीगजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व पार्वती औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। इनमें अध्ययनरत् विद्यार्थियों की संख्या 180 है।

2.6.6 (ब) चिकित्सा सुविधाएं

मूण्डवा नगर में वार्ड न. 5 में एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसमें 25 शय्या है जिसका अनुपात लगभग 2 शय्या प्रति एक हजार व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त यहां पर वार्ड न. 18 में एक पशु चिकित्सालय है व वार्ड नं. 5 में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा एक आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है। उपरोक्त समस्त चिकित्सा सुविधाओं का कुल क्षेत्रफल 0.24 हैक्टेयर है। वर्तमान में मूण्डवा नगर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को तालिका 9 में दर्शाया गया है।

तालिका 9:

चिकित्सा सुविधाएं, मूण्डवा-2010

क्रम संख्या	चिकित्सा सुविधा	संख्या	उपलब्ध शय्या
1	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	25
2	होम्योपैथिक चिकित्सालय	1	—
3	राजकीय पशु चिकित्सालय	1	—
4	आयुर्वेदिक औषधालय	1	—

स्रोत: सर्वेक्षण

2.6.6. (स) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल

मूण्डवा नगर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां काफी कम होती हैं। नगर में विजयादशमी एवं शुक्लपक्ष (गणेश) चतुर्थी के शुभ अवसर पर आश्विन एवं भाद्रपद माह में 1 दिन का मेला लगता है जिसमें काफी पर्यटक आते हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न समुदायों के धार्मिक त्यौहार नगर में हर्षोल्लास से मनाये जाते हैं।

मूण्डवा नगर में हिन्दुओं के अनेक धार्मिक स्थल हैं यहां कुल से 83 मन्दिर हैं जिनमें सत्यनारायण मन्दिर, लक्ष्मी मन्दिर, हनुमान मन्दिर, शिव मन्दिर एवं शीतला माता का मन्दिर इत्यादि प्रमुख हैं। जो हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं। यहां के अन्य मन्दिर में चारभुजा और वैकटेश मन्दिर आस-पास के क्षेत्र में विख्यात है। नगर के समस्त मन्दिर लगभग 24.66 हैक्टेयर क्षेत्र में बने हुए हैं। इसके अलावा यहां पर 9 मदरसे एवं मस्जिदें है जो कि कुल 4.08 हैक्टेयर क्षेत्र में बनी हुई हैं।

2.6.6. (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

मूण्डवा नगर में वार्ड नम्बर 2 में डाकघर, पुलिस थाना, बांगड़ धर्मशाला व वार्ड नं. 19 में टेलिफोन एक्सचेंज स्थित है, के अतिरिक्त नगर में राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में सरकारी पुस्तकालय स्थित है जो महात्मा गांधी सामुदायिक पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। यहां 3 श्मशान घाट एवं 2 कब्रिस्तान है जो लगभग 3.68 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहां पर कोई अग्निशमन केन्द्र नहीं है। नगर का निकटतम अग्निशमन केन्द्र नागौर में स्थित है।

2.6.6 (य) जनोपयोगी सुविधाएं

जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति जल-मल निस्तारण एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की सुविधा नगर के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन सुविधाओं की विद्यमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

2.6.6 (य)(i) जलापूर्ति

मूण्डवा नगर में 8 सार्वजनिक नलकूप हैं। नगर में पर्याप्त दबाव से जल वितरण के लिए 3 ओवरहैड टैंक निर्मित हैं जिनकी क्षमता 630 कि.ली. है। इसके अलावा 2 सी.डब्ल्यू.आर. टैंकों का निर्माण किया हुआ है जिनकी क्षमता 600 कि.ली. है। नगर में 1868 आवासीय तथा 76 व्यावसायिक कनेक्शन हैं। वर्तमान में मूण्डवा नगर में कुल 1944 कनेक्शनों के माध्यम से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 79 लीटर जलापूर्ति की जाती है। नगर की जलापूर्ति को तालिका 10 में दर्शाया गया है।

तालिका 10:
जलापूर्ति, मूण्डवा – 2010

क्र.सं.	जलापूर्ति की श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	1868
2	व्यावसायिक	76
3	औद्योगिक	...
	योग	1944

स्रोत: जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, मूण्डवा

2.6.6 (य)(ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

मूण्डवा नगर में सीवरेज व्यवस्था नहीं है। यहां पर गन्दे पानी की निकासी के लिए खुली नालियों का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रतिदिन नगरपालिका द्वारा साफ करवायी जाती है। नगर में जल-मल निकास की व्यवस्था उचित नहीं होने के कारण रास्तों एवं सड़कों पर गन्दा पानी भरा रहता है। घरों में मल निस्तारण के लिए सेप्टिक टैंक बने हुए हैं परन्तु कच्ची बस्तियों में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है और कच्ची बस्ती के निवासी खुले में शौच जाते हैं। वर्तमान में नगर में कोई ठोस कचरा प्रबन्धन नहीं है। नगर का समूचा कचरा नगरपालिका द्वारा एकत्रित किया जाता है एवं नगर से 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित खुले क्षेत्रों में डाला जाता है। कचरा उठाने के कार्य में कुल 2 ट्रेक्टर लगे हुए हैं जो दिनभर में चार बार कचरा संग्रहण के लिए आते हैं। मूण्डवा में अभी नगर पालिका द्वारा वैज्ञानिक विधि द्वारा कचरा निस्तारण स्थल का निर्माण नहीं कराया गया है।

2.6.6 (य)(iii) विद्युत आपूर्ति

मूण्डवा नगर में विद्युत आपूर्ति वार्ड न. 15 में स्थित 132 केवी सब स्टेशन से की जाती है। यहां विद्युत उपलब्धता की कमी के कारण प्रतिदिन लगभग 3 से 6 घण्टों के लिए बिजली कटौती की जाती है।

नगर की बढ़ती जनसंख्या के लिए एवं विभिन्न सेक्टरों में बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता है। वर्ष 2010 में नगर में विद्युत कनेक्शनों की संख्या को तालिका 11 में दर्शाया गया है।

तालिका 11:

विद्युत आपूर्ति, मूण्डवा-2010

क्र.सं.	विद्युत उपभोग की श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	1668
2	व्यावसायिक	258
3	औद्योगिक	59
	योग	1985

स्रोत: अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मूण्डवा

2.6.6 (य)(iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान

मूण्डवा नगर में वर्तमान में 3 श्मशान लगभग 2.52 हैक्टेयर क्षेत्रफल में एवं 2 कब्रिस्तान लगभग 1.16 हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित है।

2.6.7. परिसंचरण

मूण्डवा नगर के क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यहां यातायात साधनों के सुगमता की आवश्यकता हैं, अभी यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग के माध्यम से अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहां बड़ी रेलवे लाईन है।

2.6.7. (अ) यातायात व्यवस्था

मूण्डवा राष्ट्रीय राजमार्ग 89, राज्य राजमार्ग 39 (बीकानेर-अजमेर) पर स्थित है जो कि मूण्डवा को मुख्य रूप से कुचेरा, नागौर, अजमेर, खजवाना एवं लुनसरा से जोड़ते हैं। राज्य राजमार्ग 39 नगर के मध्य से निकलने एवं नगर के अन्दर अतिक्रमण होने से इसकी चौड़ाई काफी कम होने के कारण यातायात व्यवस्था में बाधा रहती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 89 का भाग जो नगर के मध्य से होकर, नगरपालिका के आगे से गुजरकर नागौर की तरफ जाता है, इस मार्ग पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, व्यावसायिक गतिविधियां, हायर सैकण्डरी स्कूल, बस स्टैण्ड एवं नगरपालिका कार्यालय इत्यादि स्थित हैं, इस मार्ग से गुजरने वाले भारी यातायात के दबाव को कम करने के लिए नगर के उत्तरी-पूर्वी भाग में एन.एच.89 को नये बाईपास के माध्यम से जोड़ा गया है जिसके फलस्वरूप नगर से गुजरने वाले भारी यातायात के दबाव में कमी आई है।

मूण्डवा में खुदरा बाजार: मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ रेलवे स्टेशन रोड के जंक्शन के आसपास स्थित है, खुदरा बाजार वाले क्षेत्र में लगभग सभी सड़कों पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन बाजारों में सड़क को चौड़ा करना अति आवश्यक है। नगर में ज्यादातर सड़कों की चौड़ाई

3 से 3.5 मीटर तक की है, यहां पर सड़क सीमा में ज्यादातर स्थानों पर अतिक्रमण हो रहे हैं जिसके कारण सम्पूर्ण चौड़ाई की सड़क आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं होने के कारण यातायात व्यवधान एवं दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। मूण्डवा नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग 89 व राज्य राजमार्ग 39 के अतिरिक्त रोल, खारडा, सोलियाना, जूजांडा, पालडी जोधा, इत्यादि राजस्व ग्रामों के लिए सड़क मार्ग भी उपलब्ध है। यहां यातायात के निरंतर बढ़ते दबाव को देखते हुए वर्तमान में हुए अतिक्रमणों को हटाया जाकर आई.आर.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर सड़कों की चौड़ाई सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है।

2.6.7. (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल

मूण्डवा नगर में राजकीय बसों के आवागमन हेतु नियोजित बस स्टैण्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां समस्त राजकीय बसों का संचालन, राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि नगर के मध्य से होकर गुजरता है के स्टेशन रोड़ जंक्शन पर अस्थाई बस स्टैण्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में मूण्डवा नगर से प्रतिदिन लगभग 60 बसें संचालित की जाती हैं जिनमें से 30 बसों का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा एवं 30 बसों का संचालन निजी संचालकों द्वारा विभिन्न मार्गों पर किया जाता है। यहां मुख्य रूप से जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, कोटा, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डेगाना, पीपाड़, लाडनूं, डीडवाना, सालासर, भोपालगढ़ इत्यादि मार्गों पर बसें संचालित होती हैं।

मूण्डवा में कोई ट्रक स्टैण्ड / टर्मिनल नहीं है तथा भारी वाहन अधिकतम बाईपास से होकर गुजरते हैं परन्तु कुछ भारी वाहन जो राज्य राजमार्ग 39 से आकर नागौर की तरफ जाते हैं, नगर के भीतर से होकर गुजरते हैं। यद्यपि मूण्डवा में राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन रात्रि के समय सुगमता से होकर गुजरता है परन्तु दिन के समय यातायात की समस्या बनी रहती है। यहां पर आने व जाने वाली समस्त ट्रक ट्रांसपोर्ट (माल वाहक) हेतु किसी भी एजेंसी द्वारा सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं।

2.6.7. (स) रेल एवं हवाई सेवा

मूण्डवा में बड़ी रेल लाईन पर मारवाड़-मूण्डवा रेलवे जंक्शन है। यह वार्ड न. 2 में लगभग 2.5 हैक्टेयर के क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में यहां से प्रतिदिन 8 यात्री गाड़ियों का आवागमन होता है। यहां से जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, जोधपुर, भटिण्डा, रणकपुर, अहमदाबाद, जम्मू जाने वाली यात्री गाड़ियों का ठहराव है। मूण्डवा के समीपस्थ हवाई अड्डा 136 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर में स्थित है।

नियोजन की संकल्पना

मानव के समूह में एक साथ रहने की कला, सभ्यता का एक सूचक रही है। हालांकि पूर्व काल से ही सामाजिक गतिविधियों, पूजा-अर्चना, भोजन एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान-प्रदान हेतु मानव स्वार्थ समाहित होते रहे हैं तथा नगरों की स्थापना अपनी आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति का सर्वोच्च स्थल रहा है, जो उपयोग एवं उपभोग स्थल बना रहा है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आने वाली समस्याओं का निराकरण प्रमुख ध्येय हो गया है।

किसी भी समुदाय के लिए भूमि एक प्राथमिक संसाधन है, जो सीमित है, अतः भूमि के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग तथा उस पर नियन्त्रण के लिए भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है, ताकि समुदाय के लिए उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके। आर्थिक गतिविधियों एवं भू-उपयोग में सामांजस्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए नियोजन की प्रक्रिया आवश्यक है। भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई भी नगर इसके भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप एवं विकास आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास करती है और इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की रचना करती है। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय कर लिये जाते हैं तो दिन प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के सन्दर्भ में विचार कर ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन, नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढाँचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार मास्टर प्लान भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान किसी भी नगर के प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन-आकांक्षा हो सकती है। अतः कतिपय

मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन नीतियों एवं उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। इन उपरोक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। मूण्डवा नगर का मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई है।

3.1 नियोजन की नीतियां

योजना की मुख्य भूमिका यह होनी चाहिए कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि भविष्य में विकास न केवल सही दिशाओं एवं स्थलों पर हो, परन्तु यह एक सफल समुदाय की संरचना कर सके, उन्हें एक पहचान दे सके तथा साथ-साथ रहने, जीवनयापन करने व आवागमन हेतु स्थल प्रदान कर सके।

यह वर्तमान एवं आने वाले समय में समुदायों के आपसी प्रयत्नों पर निर्भर करता है। योजना की प्रक्रिया इन प्रयत्नों में योगदान कर सकती है, जैसे कि समुचित स्तर की जन एवं सामुदायिक सुविधाएं, सही स्थल को सुनियोजित करना, एक स्थल पर वे सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि उनकी एक अलग पहचान बन सके तथा यह सुनिश्चित हो कि उक्त सुविधाओं का भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भलीभांति जुड़ाव हो सके एवं वर्तमान समुदायों के साथ भी तालमेल बना रहे।

उपरोक्त वैचारिक पृष्ठ भूमि के दृष्टिगत मूण्डवा का मास्टर प्लान तैयार किया जाना निश्चित किया गया। मास्टर प्लान बनाने से पूर्व मूण्डवा की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उनसे जनित अवसरों एवं उनके द्वारा रेखांकित सीमाओं को समझा गया। इस प्रक्रिया के निष्कर्षों एवं आने वाले 20 वर्षों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में मूण्डवा की भू उपयोग योजना तैयार करने के लिए मूण्डवा के निवासियों के साथ निरन्तर विचार-विमर्श कर उनके सहयोग से नियोजन के सिद्धान्त तय किये गये।

मूण्डवा एक कृषि प्रधान नगर है, जहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि आधारित व्यवसाय पर निर्भर है। मूण्डवा की व्यावसायिक, आर्थिक, धार्मिक एवं भौगोलिक स्थिति के कारण इस नगर की भावी विकास की कल्पना धार्मिक, पर्यटन स्थल एवं कृषि समृद्ध क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में की गई है। अतः मास्टर प्लान में प्रेरित नगरीय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए भविष्य में मूण्डवा का व्यावसायिक, औद्योगिक एवं कृषि गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित होना निश्चित है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

उपर्युक्त नीतियों के सन्दर्भ में मास्टर प्लान को कार्य रूप में परिणित करने के लिए निम्नानुसार नियोजन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जो कि मूण्डवा के सन् 2031 तक के भू-उपयोग योजना के प्रस्तावों को प्रतिपादित करने में मार्गदर्शन करेगा।

1. मूण्डवा के पुराने क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। आवासीय घनत्व में विषमताओं को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्य केन्द्र मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किये जाने चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में बसने के लिए आकृष्ट हों।
2. नये क्षेत्रों को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि नये क्षेत्रों एवं पुराने शहर में उचित सामाजिक एवं भौतिक सामंजस्य बना रहे।
3. सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं एवं आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास शहर में उचित रूप से वितरण करते हुए किया जाना चाहिए।
4. नये आमोद-प्रमोद के स्थानों को विकसित करते समय यथासम्भव सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।
5. राजकीय और अर्द्ध-राजकीय कार्यालय संगठित परिसरों में इस प्रकार स्थापित किये जाने चाहिए कि उन्हें आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो और वे मुख्य मार्गों पर स्थित हों।
6. वाणिज्यिक गतिविधियां इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए कि शहर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रतिदिन आवागमन की आवश्यकता न पड़े। नये वाणिज्यिक केन्द्र नये आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु सही स्थितियों में विकसित किये जाने चाहिए। इससे नगर के पुराने व्यावसायिक केन्द्रों में भीड़ कम होगी।
7. औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुख्य कार्य क्षेत्र होते हैं। वायु की दिशा के अनुसार स्थापित किये जाने चाहिए, ताकि वे आस पास की आबादी, जल स्रोतों व पर्यावरण को दूषित न करें। इस प्रकार के छोटे नगरों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने चाहिए।
8. नगर के विभिन्न मार्गों के समुचित उपयोग करने हेतु यातायात संरचना में बहुस्तरीय व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय नगरीय यातायात से मिश्रित नहीं होने दिया जाना चाहिए। नगर में उचित स्थान पर बस स्टैण्ड एवं ट्रक टर्मिनल विकसित किये जाने चाहिए।

9. प्राकृतिक, तालाबों एवं पर्यटन आकर्षण के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास किया जाना चाहिए।
10. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, कार्य क्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
11. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल-मल निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि की ढाँचागत विकास हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
12. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी होनी चाहिए, जिससे स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति के साथ, अनियोजित विकास की प्रक्रिया को रोका जा सके।
13. पुराने क्षेत्रों में जहाँ सड़कें संकरी हैं एवं यातायात की समस्या है, वहाँ पर नई निर्माण/पुर्ननिर्माण की स्वीकृति देते समय पार्किंग का उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में थोक वाणिज्यिक गतिविधियों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में यातायात की समस्या में कमी हो। साथ ही यहां पर यातायात प्रबन्धन भी बेहतर किया जाना चाहिए।
14. संकरी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान प्रस्तावित करने होंगे। विशिष्ट प्रकार के थोक व्यापार, ट्रांसपोर्ट नगर तथा भण्डारण एवं गोदाम भारी यातायात को बढ़ाते हैं। उनके लिए घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
15. अनौपचारिक व्यवसाय हेतु योजनाओं में उचित प्रावधान रखा जाना आवश्यक है, ताकि सड़कों पर थड़ी के रूप में अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर रोक लगे एवं यातायात में सुधार हो।
16. योजनाओं में छोड़े गये उद्यानों के विकास एवं पौधारोपण हेतु अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नालों के सहारे उस क्षेत्र में जो भूमि विकास योग्य नहीं है, उन पर भी सघन पौधारोपण किया जाना चाहिए।
17. मूण्डवा में औद्योगिक वातावरण हेतु सभी आधारभूत सुविधाएं यथा सड़क, पानी, विद्युत व पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। अतः औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।

भावी आकार

वर्ष 2001 में मूण्डवा की जनसंख्या 16017 थी क्षितिज वर्ष 2031 में जनसंख्या लगभग 31000 होने का अनुमान किया गया है। मास्टर प्लान हेतु अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में मूण्डवा सहित 8 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 14898.89 हैक्टेयर है। वर्ष 2010 में जनसंख्या 19000 होने का आंकलन किया गया है। व्यक्ति है एवं विद्यमान विकसित क्षेत्र 158.74 हैक्टेयर है। अतः जनसंख्या घनत्व 120 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है। वर्ष 2010 में कुल नगरीयकृत क्षेत्र 184.48 हैक्टेयर है।

मूण्डवा नगर राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। वर्तमान में लगभग सभी गतिविधियां नगर के भीतर ही संचालित होती रही हैं। नगर के बाहरी हिस्से में ज्यादातर कृषि की जाती है। गत कुछ वर्षों से नगर का राष्ट्रीय राजमार्ग-89 एवं राज्य राजमार्ग-39 के आसपास विकास शुरू हो गया है। मूण्डवा में नया बाईपास बनने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 89 का भाग जो नगर के मध्य से होकर गुजरता है उस पर राजकीय चिकित्सालय, व्यावसायिक गतिविधियां, सीनियर सैकण्डरी स्कूल, बस स्टैण्ड एवं नगरपालिका कार्यालय इत्यादि स्थित हैं। इस प्रकार नगर का अधिकतम विकास नया बाईपास बनने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग-89 व राज्य राजमार्ग-39 पर हो रहा था। मूण्डवा नगर का विकास चारों दिशाओं में समान रूप से राजकीय भूमि की उपलब्धता एवं वर्तमान में नगर के विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग-89 को बाईपास के माध्यम से जोड़ने वाली सड़क पर उत्तरी-पूर्वी भाग में बाईपास के तीव्र घुमाव को सरल बनाने व इसका सीधा संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 89 से भू-उपयोग योजना की नगरीयकरण सीमा के समीप प्रस्तावित किया गया है। नगर के पश्चिम भाग में दक्षिण-उत्तर की तरफ रेलवे लाईन स्थित होने के कारण नगर का विकास इस तरफ प्रस्तावित नहीं किया गया है। नगर के उत्तर दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग-89 के साथ लगती भूमि पर औद्योगिक गतिविधियां प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ लगती भूमि व भण्डारण एवं गोदाम के प्रयोजनार्थ रखी गई है।

भू उपयोग योजना में व्यवसायिक सुविधाएं राष्ट्रीय राजमार्ग 89 व पालड़ी जोधा मार्ग को जोड़ने वाली प्रस्तावित मुख्य सड़क पर प्रस्तावित थोक व्यापार

केन्द्र के नजदीक प्रस्तावित की गई है। मूण्डवा में नगर के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में रीको द्वारा अम्बुजा सीमेन्ट लि० को अविकसित औद्योगिक भूमि का आवंटन किया गया है, अतः इसी योजना क्षेत्र के भाग में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि प्रस्तावित की गई है।

जनोपयोगी सुविधाएं राज्य राजमार्ग-39 खजवाना को जाने वाली सड़क पर प्रस्तावित की गई है। राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 89 व पालडी जोधा मार्ग को जोड़ने वाली प्रस्तावित मुख्य सड़क पर प्रस्तावित की गई है। नगर में रेलवे स्टेशन के पश्चिम दिशा में सामुदायिक केन्द्र व इसके नजदीक स्थित तालाब की भूमि के आस-पास के क्षेत्र में पौधारोपण प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार अजमेर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किया गया है।

नगर के अन्य भागों में यथा राजस्व ग्राम रोल की तरफ जाने वाली सड़क, बाईपास एवं नगर के उत्तरी-पूर्वी व दक्षिणी-पूर्वी भाग में पार्क इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रकार नगर की भावी विकास की परिकल्पना करते समय उपर्युक्त तथ्यों एवं बाध्यताओं के साथ जनांकिकी, व्यावसायिक संरचना, विकास योग्य क्षेत्र, नगरीयकरण योग्य क्षेत्र, योजना के परिक्षेत्रों इत्यादि महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर भू-उपयोग योजना-2031 तैयार की गई है।

4.1 जनांकिकी

मूण्डवा की वर्ष 2001 की जनसंख्या 16017 थी। तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1991-2001 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि रही है। चूंकि इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2010 है, अतः इस वर्ष की आंकलित जनसंख्या 19000 के आधार पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस नगर की विकास की संभावनाओं के अनुरूप वर्ष 2031 में इसकी भावी जनसंख्या 31000 अनुमान की गई है। सन् 2031 में वृद्धि दर 24 प्रतिशत रहने की संभावना है। जनसंख्या का अनुमान गत दशकों की वृद्धि दर एवं भावी विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तालिका-12 में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान को दर्शाया गया है।

तालिका 12:

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, मूण्डवा-1981-2031

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि दर
1981	10904	—	—
1991	12521	1617	14.83
2001	16017	3496	27.92
2011*	20000	3983	24.87
2021*	25000	5000	25.00
2031*	31000	5000	24.00

स्रोत: जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान*

4.2 व्यावसायिक संरचना

क्षितिज वर्ष 2031 में व्यावसायिक संरचना को नगर के पिछले वर्षों में हुई जनसंख्या वृद्धि तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से के विकास को ध्यान में रखकर अनुमानित किया गया है। विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गये मानदण्डों के आधार पर योजना क्षेत्र का अध्ययन किया गया तथा यह अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष में इस नगर में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 33.93 प्रतिशत के लगभग होगा। पूर्व के दशकों में यह 36 प्रतिशत एवं 38.06 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2031 में कार्यशील व्यक्तियों में काश्तकार 3346, कृषि मजदूर 3630, घरेलू श्रमिक 174 तथा अन्य श्रमिक 3369 होने का अनुमान किया गया है। जोकि कार्यशील व्यक्तियों का क्रमशः 31.81%, 34.51%, 1.65% तथा 32.03% है। तालिका-13 में व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है:-

तालिका 13:

व्यावसायिक सरंचना, मूण्डवा – 2001–2031

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010*		2031*	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत
1	काश्तकार, वानिकी इत्यादि	2403	39.42	2610	38.16	3346	31.81
2	कृषि मजदूर	1071	17.57	1542	22.54	3630	34.51
3	घरेलू उद्योग श्रमिक	205	3.36	185	2.70	174	1.65
4	अन्य श्रमिक	2417	39.65	2503	36.60	3369	32.03
	कुल	6096	100.00	6840	100.00	10519	100.00
	सभागिता अनुपात	38.06%		36%		33.93%	
	जनसंख्या	16017		19000		31000	

स्रोत: जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान*

यह अनुमान किया गया है कि विकास के साथ-साथ कामगारों का झुकाव कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय से व्यापार एवं वाणिज्य क्रियाकलापों में बढ़ेगा, तथा अन्य सेवाओं जैसे कि परिसंचरण, उद्योग, निर्माण तथा सरकारी एवं अन्य कार्यों में भी कामगारों की वृद्धि होगी।

4.3 नगरीय क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 की उपधारा (i) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 10(125) नविवि/3/10 दिनांक 20.7.2010 द्वारा मूण्डवा का मास्टर प्लान बनाने हेतु मूण्डवा सहित 8 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है। नगरीय क्षेत्र में मूण्डवा, भडाना, रूपासर, ईनाणा, खैण, खारडा, सोलियाना एवं पालड़ी पिचकियान सम्मिलित किये गये हैं जिसकी सूची परिशिष्ट 3 पर अंकित है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

मूण्डवा की जनसंख्या वर्ष 2031 में 31000 व्यक्ति होने का अनुमान किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 तक विकास हेतु पर्याप्त आवासीय क्षेत्र, कार्य स्थलों एवं सामुदायिक सुविधाओं के साथ सुगम यातायात व्यवस्था के लिये लगभग 318.90 हैक्टेयर विकसित भूमि की आवश्यकता होगी। जनसंख्या घनत्व लगभग 97 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होगा।

वर्तमान में लगभग 184.48 हैक्टेयर क्षेत्र नगरीयकृत है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक लगभग 436.98 हैक्टेयर भूमि की नगरीयकृत क्षेत्र रखा गया है एवं इसमें से कुल 354.86 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित होने का प्रावधान किया गया है।

4.5 योजना क्षेत्र

मूण्डवा के मास्टर प्लान हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों का निर्धारण करते समय वर्तमान प्रणाली, भौतिक अवरोध, आर्थिक गतिविधियों व विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक सम्बन्धों को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक योजना क्षेत्र में आवास, बाजार एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे योजना क्षेत्र अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे। प्रत्येक योजना क्षेत्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को तालिका -14 में दर्शाया गया है:-

तालिका 14:

योजना क्षेत्र, मूण्डवा - 2031

क्रम संख्या	योजना	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	कोर योजना क्षेत्र	64.73
2	पूर्वी योजना क्षेत्र	286.63
3	पश्चिमी योजना क्षेत्र	85.62
कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		436.98
4	परिधि नियंत्रण पट्टी एवं आंशिक अंगोर भूमि	14497.87
कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र		14934.85

4.5.1 कोर योजना क्षेत्र

इस क्षेत्र में मुख्यतः पुराना नगर है। यह मूण्डवा क्षेत्र बाईपास बनने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग-89 एवं राज्य राजमार्ग-39 के पूर्व दिशा में नगर के मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तरी भाग में राज्य मार्ग-39 की तरफ पूर्व की तरफ पोखण्डी तालाब, दक्षिण की तरफ लाखोलाव तालाब एवं पश्चिम की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग-89 के, मध्य का क्षेत्र है। इस योजना का क्षेत्रफल लगभग 64.73 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र में नगर पालिका के वार्ड संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 12

एवं 14 स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से सम्पूर्ण मूण्डवा नगर के मध्य में स्थित है, तथा अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला संकुचित क्षेत्र है। नगर की इस क्षेत्र की बसावट मध्य से ऊंची होकर अधिकतम लगभग 6-7 मीटर तक ढलान दक्षिण दिशा में है। इस क्षेत्र में सड़कों का जाल सीधा अथवा ग्रिड-आइरन पैटर्न पर नहीं होकर घुमावदार अनियोजित सड़कों के रूप में है, जिससे यातायात की समस्या निरन्तर बनी रहती है। इस क्षेत्र में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के कुल 9 स्कूल संचालित हैं, एवं नगर की नगर पालिका एवं मुख्य चिकित्सालय इसी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्य राष्ट्रीय मार्ग पर नगर का अस्थाई बस अड्डा जहाँ से प्रतिदिन बसों का संचालन होता है, स्थित है। इस क्षेत्र में नगर का एकमात्र उद्यान स्थित है।

नगर के इस भाग में जो भी खुले स्थल हैं, उनमें स्थान की उपलब्धता के आधार पर आवासीय प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है।

4.5.2 पूर्वी योजना क्षेत्र

यह क्षेत्र नगर के कोर योजना क्षेत्र के पूर्व दिशा में नगरीयकरण क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण का भाग है। इस क्षेत्र में से नगर से रोल, अजमेर, पालडी जोधा व खजवाना आदि राजस्व ग्रामों को जाने वाली सड़कें गुजरती हैं। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 286.63 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र में पोखण्डी तालाब, लाखोलाव तालाब, खेतण्डा तालाब एवं करण बाडा तालाब स्थित है। इस क्षेत्र में नगर के समस्त कब्रिस्तान, स्कूल, कार्यालय विद्युत वितरण निगम मय ग्रिड सबस्टेशन स्थित हैं एवं ट्रक की बॉडी बनाने एवं पत्थर कटिंग से संबंधित उद्योग संचालित है।

इस क्षेत्र में लाखोलाव तालाब के दक्षिणी-पूर्वी भाग का समस्त क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्र में होने के कारण नगर की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध करवाता है। अतः योजना क्षेत्र के इस भाग में किसी भी प्रकार का भू-उपयोग अथवा परिसंचरण प्रस्तावित नहीं किया गया है। नगर के दक्षिण-पूर्व भाग में पालडी-जोधा रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-89 के मध्य आने वाले क्षेत्र में मुख्यतया आवासीय, शैक्षणिक, पार्क, चिकित्सा व सामुदायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। क्षेत्र के इस भाग में प्राकृतिक ढलान को मद्देनजर रखते हुए काली रीठी हनुमान मंदिर जलग्रहण क्षेत्र के जल को लाखोलाव तालाब तक लाने के लिए प्रस्तावित बाईपास सड़क के साथ पक्का नाला बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

इस योजना क्षेत्र में औद्योगिक, व्यावसायिक, राजकीय कार्यालय, ट्रक टर्मिनल, थोक व्यापार, सामुदायिक सुविधाएं, जनोपयोगी सुविधाएं, पार्क, शैक्षणिक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं व नगर के आवासीय विस्तार इत्यादि हेतु भूमि आरक्षित की गई है।

4.5.3 पश्चिमी योजना क्षेत्र

यह क्षेत्र नगर के कोर योजना क्षेत्र के पश्चिम दिशा में नगरीयकरण क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण का भाग है। इस क्षेत्र में नगर से नागौर, खारडा, सोलियाना व जूजाण्डा इत्यादि राजस्व ग्रामों को जाने वाली सड़कें गुजरती हैं। इस क्षेत्र से नागौर-अजमेर रेलवे लाईन गुजरती है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 85.62 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र में मोटेलाव तालाब, बामण नाडा तालाब, ढांढेरी तालाब, विश्वकर्मा जिप्सम उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, केमिकल लाईम उद्योग, धर्मशाला, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन व कब्रिस्तान इत्यादि स्थित हैं। इस क्षेत्र से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हो चुकी हैं।

इस योजना क्षेत्र में रेलवे लाईन होने के कारण इस क्षेत्र के विकास में कई बाधाएं आ रही हैं। इस क्षेत्र में रेलवे लाईन एवं दक्षिणी-पूर्वी योजना क्षेत्र के मध्य भाग वाले क्षेत्र में पशु चिकित्सालय, जनोपयोगी सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, पेट्रोल पम्प, स्टेडियम एवं आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित की गई है।

4.5.4 परिधि नियंत्रण पट्टी एवं आंशिक अंगोर भूमि

उपर्युक्त योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान का वह भाग, जो नगरीयकरण क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है वह इस नियोजन क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में नगर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में रीको द्वारा अम्बुजा सीमेन्ट लि० को 195 हैक्टेयर अविकसित भूमि का सीमेन्ट प्लांट के प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसमें से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में लगभग 32 हैक्टेयर भूमि दर्शायी गई है, शेष 163 हैक्टेयर भूमि, जो कि परिधि नियंत्रण पट्टी में है, जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ इस योजना क्षेत्र का भाग होगा। उक्त भूमि का कुछ भाग अंगोर भूमि हेतु भी संरक्षित रखा गया है।

परिधीय क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहां पर भूमि का उपयोग कृषि, जंगलात, बागवानी, उद्यान, रिसोर्ट, फार्म हाँउस, मौटैल, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क एवं इनसे सम्बन्धित उपयोगों हेतु ही उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के प्रस्ताव से नगर के बाहरी क्षेत्रों में होने वाले अव्यवस्थित नगरीय विकास पर अंकुश लगेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुँमुखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती हैं, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित शहरी विकास की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 14497.87 हैक्टेयर है।

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना विभिन्न नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में रूपान्तरण है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गई है। नगरीय भूमि दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि-सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शायी गई है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग योजना हेतु मदवार भू-उपयोग के लिए उपयुक्त घनत्व के मापदण्डों का आवंटन कर मदवार आधार वर्ष 2010 में भू-उपयोग में कमी/अधिकता तथा क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल हैक्टेयर में आंकलित किया गया है। इस प्रकार क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 354.86 हैक्टेयर भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गई है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र में 45.26 प्रतिशत आवासीय, 4.77 प्रतिशत वाणिज्यिक, 21.42 प्रतिशत औद्योगिक, 3.42 प्रतिशत राजकीय (सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय), 12.71 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 1.62 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 10.80 प्रतिशत परिसंचरण हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भू-उपयोग को तालिका-15 में दर्शाया गया है :-

तालिका 15:
प्रस्तावित भू-उपयोग, मूण्डवा-2031

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	160.60	45.26	36.75
2	वाणिज्यिक	16.92	4.77	3.87
3	औद्योगिक	76.03	21.42	17.40
4	राजकीय	12.15	3.42	2.78
5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	45.09	12.71	10.32
6	आमोद-प्रमोद	5.75	1.62	1.31
7	परिसंचरण	38.32	10.80	8.77
कुल विकसित क्षेत्र		354.86	100	81.20
8	अन्य कृषि एवं रिक्त भूमि	1.34	—	0.31
9	तालाब एवं अंगोर भूमि	80.78	—	18.49
कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		436.98		100.00

5.1 आवासीय

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गई है कि जिससे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य केन्द्रों और आमोद-प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय और दूरी में कमी हो। निकटवर्ती प्रतिरूप के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा, जिनमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे और लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट दिन-प्रतिदिन की जनोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 31000 लोगों को बसाने के लिए 160.60 हैक्टेयर आवासीय भूमि प्रस्तावित की गई है।

मास्टर प्लान में तीन प्रकार के आवासीय घनत्व रखे गये हैं। नगर के पुराने भाग में आवासीय जनसंख्या घनत्व 251 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से अधिक होगा, जबकि कार्यस्थलों और वर्तमान अर्द्ध विकसित क्षेत्र के पास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 126 से 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ योजना के नियोजन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए नये आवासीय क्षेत्र 125 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से कम की सघनता के साथ विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। मूण्डवा में जो कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं, ऐसे क्षेत्रों में

सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के साथ पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत इनके सुधार को प्राथमिकता दिया जाना प्रस्तावित है। आधार वर्ष 2010 में मूण्डवा में विकसित क्षेत्र का 63.69 प्रतिशत भाग अर्थात् 101.11 हैक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अन्तर्गत था। जिसका आवासीय जन घनत्व कुल 188 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है, जिसे क्षितिज वर्ष 2031 तक 192 (31000/160.60) व्यक्ति प्रति हैक्टेयर किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2010-2031 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 59.49 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। इस तरह क्षितिज वर्ष 2031 के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 160.60 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.1.1 आवासन

आवास समुदाय की एक मूल आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सार्वधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगरपालिका आवास परियोजना तैयार करे और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराए। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि व्यवस्थित क्रम में लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके।

5.1.2 अनौपचारिक सेक्टर के लिए आवास

नगर के पुर्नस्थापना एवं पुर्नविकास के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। पुर्नस्थापना कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए चलाया जायेगा जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और मानव के लिए खतरा बन सकते हैं। पुर्नविकास का कार्य उन क्षेत्रों के लिये किया जाएगा जहां झुग्गी-झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है। कच्ची-बस्ती क्षेत्रों में सुधार और उनके पुर्नविकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाए कि विस्थापन कम से कम हो। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे रोशनी, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें आदि की समुचित व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

मूण्डवा में पुराने विकसित क्षेत्रों में अनौपचारिक सेक्टर का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नगर में अव्यवस्थित रूप से कुछ छोटे-छोटे व्यवसाय चल रहे हैं। अतः इनको व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भविष्य में विकसित की जाने वाली योजनाओं में अनौपचारिक सेक्टर हेतु उचित स्थल आरक्षित किये जाएंगे।

5.1.3 कच्ची बस्तियां

नगरपालिका को चाहिए कि भविष्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएं तथा विद्यमान कच्ची बस्तियों के क्षेत्रों का नियोजित विकास एवं सुधार चरणबद्ध क्रम में किया जाए।

5.2 वाणिज्यिक

मूण्डवा वाणिज्यिक, व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2031 तक नगर की कुल जनसंख्या का 33.93 प्रतिशत सहभागिता अनुपात के आधार पर 10519 व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों यथा काश्तकार, खेतीहर मजदूर, घरेलू उद्योग में कार्यरत श्रमिक एवं अन्य श्रमिक के रूप में कार्यरत रहेंगे।

मूण्डवा में भौतिक विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो दशकों में नगर के प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। नगर में वाणिज्यिक गतिविधियां मुख्य रूप से नया बाईपास बनने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 89 का भाग एवं राज्य राजमार्ग 39, जो नगर के मध्य से होकर गुजरते हैं, के दोनों तरफ संचालित होती है। इसी प्रकार नगर के मध्य भाग में वार्ड नं. 8 की मुख्य सड़क के दोनों तरफ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसंगत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज ही उपलब्ध हो सकें। तालिका 13 के अनुसार वर्ष 2010 में घरेलू उद्योग तथा अन्य श्रमिकों की श्रेणी में 2688 व्यक्ति कार्यरत थे, जो क्षितिज वर्ष में 3543 व्यक्ति होने की सम्भावना है। वर्ष 2010 में भू-उपयोग के अन्तर्गत विकसित क्षेत्र का 2.12 प्रतिशत भाग अर्थात् 3.38 हैक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ है, जो क्षितिज वर्ष 2031 में 4.77 प्रतिशत अर्थात् 16.92 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख के साथ-साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित पदानुक्रम वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका-16 में दर्शाया गया है:-

तालिका 16:
प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, मूण्डवा— 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	3.10
2	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	6.80
3	भण्डारण एवं गोदाम	3.50
4	वाणिज्यिक केन्द्र	3.52
योग		16.92

5.2.1 केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र

नगर का मुख्य बाजार क्षेत्र केन्द्रीय व्यापारिक के रूप में है। वर्तमान में केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 89 व राज्य राजमार्ग 39 के आसपास का क्षेत्र है एवं इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक सम्भावना नहीं है क्योंकि यहां पर वर्तमान में सड़को की चौड़ाई पर्याप्त नहीं होने के कारण यातायात, पार्किंग एवं सामान ले जाने की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मास्टर प्लान में राष्ट्रीय राजमार्ग 89 व पालड़ी जोधा मार्ग को जोड़ने वाली प्रस्तावित मुख्य सड़क पर विद्युत सब स्टेशन के पास 3.10 हैक्टेयर भूमि केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र हेतु आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

5.2.2 थोक व्यापार एवं विशिष्ट बाजार

मूण्डवा में अभी तक थोक व्यापार का कोई केन्द्र नहीं था जिसके कारण यहां पर लोगों को काफी परेशानी होती थी। अतः भविष्य की महती आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 89 व पालड़ी जोधा मार्ग को जोड़ने वाली प्रस्तावित मुख्य सड़क पर लगभग 6.80 हैक्टेयर भूमि में थोक व्यापार एवं विशिष्ट बाजार का प्रस्ताव किया गया है।

5.2.3 भण्डारण एवं गोदाम

मूण्डवा नगर में भविष्य में सम्भावित औद्योगिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने पर नगर में भण्डारण एवं गोदामों की जरूरत होगी। अतः मास्टर प्लान में राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर-पूर्व दिशा में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के पूर्वी दिशा में लगभग 3.5 हैक्टेयर क्षेत्र गोदामों हेतु प्रस्तावित किया गया है, ताकि पास में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए गोदामों की समुचित सुविधा उपलब्ध हो सकें।

5.2.4 वाणिज्यिक केन्द्र

पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में आज यातायात सम्बन्धी अत्यधिक समस्याएं हैं। पुराने व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र नगर के मध्य में घने बसे भागों में स्थित हैं, जहाँ पर न तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है एवं न ही सामान को लादने एवं उतारने की सुविधा उपलब्ध है। अतः केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र से यातायात के दबाव को कम करने के लिए तथा व्यापार को उचित स्थानों पर वितरित किये जाने के लिए मूण्डवा मास्टर प्लान में 3 वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि नगर के चारों तरफ व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो सके। वाणिज्यिक केन्द्र में खुदरा वाणिज्यिक दुकानें, सिनेमा, होटल, पेट्रोल पम्प एवं सामुदायिक भवन आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर कुल 5.52 हैक्टेयर क्षेत्र में से 3.52 हैक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित किया गया है।

5.3 औद्योगिक

वर्तमान में मूण्डवा औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहां पर रीको द्वारा अम्बुजा सीमेन्ट लि० को 195 हैक्टेयर अविकसित भूमि आवंटित की गई है जिस पर सीमेन्ट उद्योग की स्थापना प्रस्तावित है। नगर में वार्ड संख्या 7 में जगदम्बा इण्डस्ट्रीज व वार्ड संख्या 20 में हनुमन्त सीमेन्ट के 2 छोटे उद्योग हैं। वर्ष 2010 के विद्यमान भू-उपयोग में औद्योगिक क्षेत्र 36.03 हैक्टेयर है।

भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-89 के नगर से रोल को जाने वाले राजमार्ग एवं नागौर दिशा में जाने वाले राजमार्ग से लगते हुए क्षेत्र में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए 76.03 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र (लघु, मध्यम व वृहद् उद्योग) हेतु प्रस्तावित की गई है, जिसका मुख्य आधार संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सभी उद्योगों के एक ही स्थान पर स्थापित करना है।

5.4 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

वर्तमान में मूण्डवा में प्रशासनिक स्तर के कार्यालय विद्यमान नहीं है। यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत केवल नगर पालिका विद्यमान है, जो कि सम्पूर्ण नगर में विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन करती है। यहां पर नगर पालिका, कृषि ऊपज मण्डी समिति, जलदाय विभाग एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग-89 पर नगर के बाहर स्थित हैं, वर्तमान में इन राजकीय कार्यालय में लगभग 123 व्यक्ति कार्यरत हैं।

मूण्डवा में विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 89 व पालड़ी जोधा मार्ग को जोड़ने वाली प्रस्तावित मुख्य

सड़क पर भूमि प्रस्तावित की गई है। इस उपयोग हेतु कुल 12.15 हैक्टेयर भूमि आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है।

5.5 आमोद-प्रमोद

मूण्डवा के निवासियों एवं प्रवासियों को मनोरंजन, आमोद-प्रमोद हेतु वर्तमान में मात्र 3.59 हैक्टेयर भूमि ही विकसित है, अतः क्षितिज वर्ष 2031 तक की आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलों पर 5.75 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। जिनमें उद्यान एवं खुले स्थल, एवं खेल के मैदान मेले एवं पर्यटन स्थल तथा अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन के रूप में क्लब आदि का प्रावधान किया गया है।

5.5.1 उद्यान एवं खुले स्थल

उद्यान एवं खुले स्थल को सामान्यतः नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है, ये किसी सीमा तक नगर वासियों के सामाजिक एवं भौतिक स्वरूप को प्रदान करते हैं। मूण्डवा नगर में वर्तमान में कोई सामुदायिक पार्क नहीं है। भविष्य की आवश्यकता का आंकलन करते हुए मास्टर प्लान में मूण्डवा नगर की चारों दिशाओं में विभिन्न स्थलों पर उद्यान एवं खुले स्थलों का यथोचित प्रावधान रखा गया है।

5.5.2 खेल मैदान

वर्तमान में मूण्डवा नगर में कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए नगर के दक्षिणी पूर्वी भाग में पोखण्डी तालाब एवं प्रस्तावित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के समीप खेल मैदान प्रस्तावित किये गये हैं।

5.5.3 अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

नगर में वर्तमान में अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन हेतु कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां पर नगर पालिका एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा धार्मिक, योगिक एवं नागरिक जागरूकता हेतु समय-समय पर आयोजित मेले, सम्मेलनों में सहयोग किया जाता है।

अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की सुविधाएं, जिसमें म्यूजियम, आर्ट गैलरी, क्लब, सिनेमा जैसे भू-उपयोग इत्यादि आते हैं, के लिए मास्टर प्लान में भूमि प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रों में एवं सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों में अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन के लिए स्थल उपलब्ध कराया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर आवासीय योजना बनाते समय भी ऐसे स्थलों का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.4 मेले एवं पर्यटन सुविधाएं

मूण्डवा नगर में प्रति वर्ष विजयादशमी एवं शुक्लपक्ष (गणेश) चतुर्थी के शुभ अवसर पर मेले के आयोजन किये जाते हैं जो आश्विन एवं भाद्रपद माह में आयोजित होते हैं। नगर के दक्षिण दिशा में स्थित लाखोलाव तालाब पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केन्द्र है। इसके अलावा ज्ञान तालाब, नृसिंह मन्दिर एवं शिव मन्दिर भी दर्शनीय स्थल हैं। लोगों में धार्मिक, सामाजिक एवं आपसी सहयोग की भावनाएं जाग्रत करने के लिए उपरोक्त मेलों का काफी महत्व माना जाता है।

मूण्डवा में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं स्थानीय नागरिकों के लिए रेस्तरां, रिसोर्ट, एम्पूजमेंट पार्क एवं पार्किंग इत्यादि सुविधाएं विकसित की जानी प्रस्तावित हैं।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएं तथा श्मशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। मूण्डवा की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, परन्तु सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इन समस्त सुविधाओं को नगर में वितरण, जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान में लगभग 45.09 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6.1 शैक्षणिक सुविधाएं

मूण्डवा नगर माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है। आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहां पर सरकार की नीतियों एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं को आधार मान कर, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ स्थल आरक्षित किये गये हैं। इस नीति के आधार पर नगर की अनुमानित जनसंख्या 31000 के लिए मास्टर प्लान में विभिन्न स्तर के विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है।

वर्तमान में नगर में कोई भी निजी अथवा राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नगर के उत्तरी-पूर्वी भाग में अजमेर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग-89 के स्थान के समीप एक महाविद्यालय प्रस्तावित किया गया है जिसका क्षेत्रफल 7.20 हैक्टेयर है तथा मूण्डवा नगर में

वर्तमान विद्युत सब स्टेशन के पश्चिम दिशा में 3.59 हैक्टेयर क्षेत्रफल में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रस्तावित किया गया है। मूण्डवा की अनुमानित शैक्षणिक संरचना को तालिका-17 में दर्शाया गया है:-

तालिका 17:
अनुमानित शैक्षणिक संरचना, मूण्डवा-2031

क्र. सं.	विद्यालय/महाविद्यालय	संस्थाओं की अनुमानित संख्या	विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	विद्यार्थियों की अनुमानित औसत संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	10	5000	500
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11	5500	500
3	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय	10	8400	840
4	महाविद्यालय	1	1000	1000
6	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	3	400	133
	योग	35	20300	580

स्रोत- सर्वेक्षण

5.6.2 चिकित्सा सुविधाएं

मूण्डवा नगर में वार्ड न. 5 में एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसमें 25 शय्या हैं जिसका अनुपात लगभग 2 शय्या प्रति एक हजार व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त यहां पर वार्ड न. 18 में एक राजकीय पशु चिकित्सालय है। वार्ड नं. 5 में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा एक आयुर्वेदिक औषधालय भी है। उपरोक्त समस्त सुविधाओं का कुल क्षेत्रफल लगभग 0.25 हैक्टेयर है। नगर की अनुमानित जनसंख्या में वृद्धि एवं विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर नगर के दक्षिणी-पूर्वी एवं उत्तरी-पूर्वी भाग में दो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र 0.75 हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित किये गये हैं। इनके अलावा दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र खजवाना रोड़ पर एक पशु चिकित्सालय भी प्रस्तावित किया गया है। यह भी प्रस्तावित है कि जब विभिन्न सेक्टरों की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, उस समय आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेंसरी हेतु स्थल आरक्षित किये जा सकेंगे।

5.6.3 सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु विवाह स्थल, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक भवन जैसी सुविधाओं का प्रावधान शहरी एवं निचले स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इन सुविधाओं के लिये मास्टर प्लान में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु पर्याप्त स्थल दर्शाये गये हैं।

5.6.4 अन्य सामुदायिक सुविधाएं

मास्टर प्लान में विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं जैसे डाकघर, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं रंगमंच आदि का आवश्यकता अनुसार प्रावधान रखा गया है। ऐसी सुविधाओं के लिए कई स्थल मास्टर प्लान में उचित स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं। ऐसी सुविधाएं, जिससे एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है, जैसे बारातघर आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित भूमि में किया जा सकता है।

5.6.5 जनोपयोगी सुविधाएं

जनोपयोगी सुविधाओं में पेयजल वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, मल-जल निकास इत्यादि सम्मिलित हैं। नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन सेवाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

5.6.5(अ) जलापूर्ति

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मूण्डवा में औसत जल वितरण लगभग 79 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यहां पर नगर में 3 ओवरहेड टैंक निर्मित है जिनकी कुल क्षमता 630 किलोलीटर है। इसके अतिरिक्त यहां दो सी.डब्ल्यू.आर. टैंक भी निर्मित है जिनकी कुल क्षमता 600 किलोलीटर है। वर्तमान में नगर में लगभग प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे जल वितरण किया जाता है। जलापूर्ति बढ़ा कर लगभग 100-125 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति करने का प्रस्ताव है। सन् 2031 तक यहां की कुल जनसंख्या लगभग 31,000 होने का अनुमान है, अतः विभाग को उक्त जनसंख्या हेतु पानी की उचित मात्रा में पानी की सप्लाई हेतु योजना बनाई जानी प्रस्तावित है। जिसके लिए विभाग द्वारा उक्त मांग की पूर्ति हेतु नागौर लिफ्ट केनाल के मुख्य स्रोत गोगेलाव जो कि नागौर शहर से दस राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-89 (अजमेर-बीकानेर) पर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, से किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खजवाना को जाने वाले

राज्य राजमार्ग-39 पर मास्टर प्लान में इस प्रयोजनार्थ 4.74 हैक्टेयर भूमि आरक्षित रखी गई है।

5.6.5(ब) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

मूण्डवा में मल-जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। यहां पर अभी तक वर्षा के पानी की निकासी का भी उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण वर्षा का पानी सड़कों पर फैलता रहता है। नगर में सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था भी नहीं है। अधिकांश मकानों में सेप्टिक टैंक की व्यवस्था है, तथा शेष जनता प्राचीन पद्धति का ही उपयोग करती है। उपरोक्त कारणों से आस-पास का वातावरण दूषित होने के साथ-साथ भूमिगत जल के प्रदूषित होने का भी खतरा बना रहता है।

स्वच्छ नगर के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को गंदगी के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। मूण्डवा नगर में ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता है। यहां पर ट्रेक्टर-ट्रॉली की सहायता से कचरा इकट्ठा किया जाता है तथा उसे शहर से 2 कि.मी. की दूरी पर ले जाकर खुले स्थान पर डाल दिया जाता है। जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा भूमिगत जल के प्रदूषण का खतरा बना रहता है। नगर के परिधि नियंत्रण पट्टी में मृदा परीक्षण एवं नगरपालिका, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विचार विमर्श उपरान्त भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने हेतु वैज्ञानिक पद्धति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ठोस कचरा संयंत्र विकसित/निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार नगर के परिधि नियंत्रण पट्टी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से विचार-विमर्श उपरान्त, क्षेत्र की सामान्य ढलान को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटमेंट उपरान्त प्राप्त जल को नगर में जल पुर्नचक्रण पद्धति के तहत पौधारोपण, बाग-बगीचे के रख-रखाव हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।

5.6.5(स) विद्युत आपूर्ति

मूण्डवा नगर में वर्तमान में नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-89 एवं वर्तमान बाईपास के नजदीक स्थित 132 एवं 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में यहां प्रतिदिन 3-6 घंटे बिजली कटौती की जाती है। नगर की बढ़ती जनसंख्या के लिए एवं विभिन्न सेक्टरों में बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। अतः इसको ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में भविष्य की आवश्यकतानुसार ग्रिड

सब-स्टेशन हेतु खजवाना को जाने वाले राज्य राजमार्ग-39 पर प्रस्तावित जनोपयोगी सुविधाओं में भूमि प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2031 तक 3,000 अनुमानित जनसंख्या हेतु समुचित उपाय विद्युत वितरण निगम को करने होंगे।

5.6.5 (द) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में नगर में स्थित श्मशानों और कब्रिस्तान को यथावत रखा गया है, परन्तु जो श्मशान और कब्रिस्तान नगर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें चारदीवारी के साथ-साथ सघन पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशानों और कब्रिस्तानों को माँग के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 परिसंचरण

किसी भी नगर की परिसंचरण व्यवस्था वहाँ के भावी भू-उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग होती है। परिसंचरण हेतु प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात के आवागमन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, ताकि स्थानीय जनता एवं पर्यटक आदि के आवागमन के लिये उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। नगर की विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार, वहाँ पर होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं। मूण्डवा नगर अपने पश्य क्षेत्र के लिए एक सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करता रहेगा। नगर में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार की निकट भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं, अतः यहाँ के लिये अपने पश्य क्षेत्र से वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु कुशल यातायात व्यवस्था होना आवश्यक है।

5.7.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

मूण्डवा नगर में वर्तमान क्षेत्रीय यातायात का भार मुख्य रूप से अन्दर की विद्यमान सड़कों पर रहता है। नगर के अन्दर पर्याप्त चौड़ाई की सड़कें नहीं हैं अर्थात् ये सड़कें संकरी व घुमावदार हैं।

नगर की यातायात व्यवस्था को भू-उपयोग योजना के अनुरूप तथा एक दूसरे के पूरक के रूप में तैयार किया गया है, ताकि यह यात्रियों के सामान तथा अन्य सेवाओं के आवागमन के लिये प्रभावी प्रणाली के रूप में सिद्ध हो सके। मूण्डवा से राष्ट्रीय राजमार्ग-89, राज्य राजमार्ग-39, उपरोक्त मार्गों पर नगर के उत्तर-पूर्व व दक्षिण-पूर्व में बाईपास व नगर के मध्य क्षेत्र के बीच में विस्तार प्रस्तावित किया गया। नगर के पश्चिम में रेलवे लाईन होने एवं नगर के दक्षिण भाग में लाखोलाव तालाब का जलग्रहण क्षेत्र होने के कारण इस दिशा में विकास की संभावनाएं कम आंकी गई है। अतः इन दिशाओं में नगर का विकास प्रस्तावित नहीं किया गया है।

5.7.1(अ) सड़कों का मार्गाधिकार

राष्ट्रीय राजमार्ग, बाह्य मार्ग एवं राज्य राज मार्ग 60 मीटर, प्रमुख सड़कें 30 मीटर, मुख्य सड़कें 18 मीटर तथा अन्य सड़कें 18 मीटर से कम चौड़ाई में प्रस्तावित की गई हैं। मुख्य सड़कें सभी महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेंगी एवं अधिकतम वाहन (यातायात) इन्हीं सड़कों से होकर गुजरेंगे। अन्य सड़कें विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेंगी तथा कार्यस्थलों को पहुँच प्रदान करेंगी। ये सभी सड़कें मुख्य यातायात प्रणाली का भाग हैं। नागौर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रस्तावित बाईपास रोड, मूण्डवा से खजवाना रोड तक राज्य राजमार्ग की चौड़ाई 60 मीटर एवं अजमेर से पालडी जोधा जाने वाले बाईपास की चौड़ाई 36 मीटर रखी गई है। वर्तमान में उपलब्ध 132 केवी हाई टेन्शन विद्युत लाईन को प्रस्तावित सड़क के मध्य में नियोजित किये जाने का प्रस्ताव है। पुराने बसे हुए नगर क्षेत्र में स्थित पुरानी सड़कों की चौड़ाई यथावत रखी गई है तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप ही रखी गई है। सड़कों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सड़कों के मार्गाधिकार को तालिका-18 में दर्शाया गया है:-

तालिका -18:

विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई, मूण्डवा-2031

क्रमांक	सड़क का प्रकार	मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग एवं प्रस्तावित बाईपास	60
2.	प्रमुख सड़कें	30
3.	मुख्य सड़कें	18
4.	अन्य सड़कें	18 से कम

तालिका 19:

सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, मूण्डवा - 2031

क्रमांक	सड़क की श्रेणी	प्रस्तावित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार
1.	अजमेर से नागौर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 पर प्रस्तावित बाईपास	60 मीटर
2.	मूण्डवा से खजवाना राज्य राजमार्ग	60 मीटर
3.	अजमेर रोड से पालडी जोधा जाने वाली सड़क	30 मीटर
4.	मुख्य सड़कें	18 मीटर
5.	अन्य सड़कें	18 मीटर से कम

5.7.1(ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो, मानदण्डों के अनुसार होगा। उन स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो अथवा जहाँ अत्यधिक संख्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहाँ सुविधानुसार तालमेल रख कर निम्न स्तर के मानदण्ड अपनाए जा सकते हैं। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर मौके के अनुसार सम्भावित चौड़ाई तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

5.7.1(स) पार्किंग स्थलों का विकास

मूण्डवा में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों में पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने व्यापारिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यापारिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध हैं, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे। नये व्यापारिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावे। भारी वाहनों के लिए यातायात नगर एवं योजना में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाएगा।

5.7.1(द) चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतंत्र रूप से चलाने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें अपर्याप्त तथा गलत चौराहों के कारण भीड़-भाड़ होना प्रमुख है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों की जाँच कर उन्हें सावधानी से पुनः डिजाइन करने का प्रस्ताव है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर सभी राजमार्गों, बाइपास, बाह्य मार्गों, मुद्रिका मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 50 फीट चौड़ी पट्टी सघन पौधारोपण हेतु छोड़ने का प्रावधान किया गया है तथा इस पट्टी के बाद समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य समय प्राधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति के पश्चात् किये जा सकेंगे।

5.7.2 बस अड्डा तथा अन्य यातायात नगर

5.7.2 (अ) बस अड्डा

वर्तमान में मूण्डवा में कोई बस अड्डा नहीं है तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूण्डवा में अजमेर से नागौर जाने वाले

राष्ट्रीय राजमार्ग-89 पर 1 बस अड्डा प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित बस अड्डे का क्षेत्रफल 0.62 हैक्टेयर है।

5.7.2(ब) यातायात नगर

वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। भारी वाहनों का नगर के अन्दर कम से कम प्रवेश हो, इसलिए अजमेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर कृषि उपज मण्डी के समीप 4.10 हैक्टेयर भूमि पर एक ट्रक टर्मिनल/ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 टैक्सी एवं थ्री व्हीलर स्टैण्ड क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग-89 नागौर रोड़, प्रस्तावित यातायात नगर के समीप एवं रेलवे स्टेशन के समीप प्रस्तावित किये गये हैं।

5.7.3 रेल एवं हवाई सेवा

मूण्डवा में एक रेलवे जंक्शन है। यह वार्ड न. 2 में लगभग 2.5 हैक्टेयर के क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में यहां से प्रतिदिन 8 यात्री गाड़ियों का आवागमन होता है। यहां से जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, जोधपुर, भटिण्डा, रणकपुर, अहमदाबाद, जम्मू जाने वाली यात्री गाड़ियों का ठहराव है। यहां का निकटतम हवाई अड्डा 136 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर में स्थित है।

5.8 जलाशय, वन भूमि एवं अंगोर भूमि

मूण्डवा नगर में वर्तमान में कई तालाब हैं जिनके नाम क्रमशः लाखोलाव तालाब, मोटेलाव तालाब, खेतण्डा तालाब, पोखण्डी तालाब, करण नाडा, बोमण नाडा तालाब हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 32.3 हैक्टेयर है। मास्टर प्लान में जलमग्न क्षेत्र को ही गणना में दर्शाया गया है शेष इनके चारों तरफ की रिक्त भूमि क्षेत्र पर पौधारोपण किये जाने का प्रस्ताव है, ताकि इनका जलग्रहण क्षेत्र स्वच्छ रहे तथा भविष्य में इन तालाबों में बरसात का पानी इकट्ठा करके जल की कमी को पूरा किया जा सके। जलाशयों के आस-पास की भूमि का भू-उपयोग माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अधीन प्रस्तावित है। मूण्डवा में राजस्व रिकार्ड के अनुसार किसी प्रकार का वन आरक्षित क्षेत्र अंकित नहीं है।

मास्टर प्लान को आपत्ति/सुझावों के संदर्भ में अंतिम रूप देने के दौरान राजस्व रिकार्ड से जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि एक विशिष्ट प्रकार की भूमि जिसको राजस्व रिकार्ड में अंगोर भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका आशय है कि यह भूमि तालाब पेटे की है। अतः अंगोर भूमि को राजस्व रिकार्ड के अनुसार यथासंभव मास्टर प्लान मानचित्रों में अंकित कर अंगोर भूमि हेतु ही संरक्षित रखा गया है। यदि सहवन से अंगोर भूमि का कोई भी भाग नहीं दर्शाया गया है तो

वह भाग केवल अंगोर भूमि हेतु ही संरक्षित रखा जायेगा तथा उक्त भाग पर कोई भू-उपयोग प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।

5.9 परिधि नियंत्रण पट्टी

नगर के अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में ही सुनियोजित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाई-वे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौध शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मौटैल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग, बजरी उत्खनन आदि अनुज्ञेय होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त परिधि नियंत्रण क्षेत्र में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुँमुखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती है, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित शहरी विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही स्वीकृति में प्रधानता होगी।

5.10 ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर स्थित गाँवों का विकास एवं विस्तार नियमित तरीके से ही किया जायेगा। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर चिन्तन का है कि यदि समुचित प्रतिबन्धों का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित हो जाएगी जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकृतियां उत्पन्न होंगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में असंगत फैलाव कर मास्टर प्लान को अर्थहीन बना देगी। अतः आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गाँवों का नियोजित ढंग से विस्तार किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनाई जाएंगी।

योजना का क्रियान्वयन

मूण्डवा नगर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में नगर के रहने और कार्य करने के योग्य बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को वास्तविकता में परिवर्तित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जाएं। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यवहारिक थीं बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें किर्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये थे। योजना का क्रियान्वित इन प्रक्रिया का स्वरूप है, जो योजना को कार्यक्रम में स्थानान्तरित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है, जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित सम्भावित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल क्रियान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि रहने और कार्य करने के स्थल के रूप में मूण्डवा को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गम्भीर प्रयास करें।

6.1 वर्तमान आधार

वर्तमान स्थानीय निकाय, मूण्डवा का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। नया अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता, जिससे नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। नगर में कुछ सार्वजनिक संस्थाएं भी कार्यरत हैं, जो नगर विभिन्न सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं।

6.2 प्रस्तावित आधार

मास्टर प्लान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का दायित्व नगरपालिका मूण्डवा का रहेगा। नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी कि मूण्डवा के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगे। इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगरपालिका, मूण्डवा में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका, मूण्डवा से निर्धारित राशि देकर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका मूण्डवा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली योजनाएं तैयार करेगी। जलापूर्ति व मल-जल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा नगर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार करेंगे। नगरपालिका मूण्डवा मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी। खण्ड क्रिया पर आधारित विखण्डित प्रगति समन्वित विकास की योजना में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न करती है, अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों के स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है ताकि यह विकास का समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर सके।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को सभी प्रकार से सुदृढ़ किया जाये और समुचित अधिकार दिये जायें। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो, इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगे।

6.3 जन सहयोग एवं जन सहभागिता

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर की सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

मूण्डवा के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं की दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजना-2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग या नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी की गई है तो उसे समायोजित माना जावेगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी की गई है तो ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जावेगी।

मास्टर प्लान क्षेत्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन करने का यथासंभव प्रयास किया गया है, यथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार की मान्य होगी। इन नदी नाले, जलाशय, भराव क्षेत्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाए, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 योजना का क्रियान्वयन

मूण्डवा नगर के मास्टर प्लान में नगर के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी वर्ष 2031 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं।

मास्टर प्लान की क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के मद्देनजर स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी वर्षों के लिए विभिन्न चरणों में विकास पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेंगे तथा मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवाएंगे व उसकी क्रियान्विति विभिन्न प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत नियोजित विकास हेतु करवाएंगे। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का विकास करवाएंगे।

6.6 उपसंहार

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जब इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाए। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। मूण्डवा का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और मूण्डवा को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर की इस योजना को तैयार किया गया है।

मूण्डवा का नगरीय क्षेत्र वर्तमान में नगर पालिका सीमा से काफी बाहर तक प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2031 तक प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र भी नगर पालिका सीमा से बाहर प्रस्तावित है अतः मास्टर प्लान के उचित ढंग से क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका सीमा को नगर की प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र सीमा तक बढ़ाया जाना उचित होगा।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959
अध्याय द्वितीय
मास्टर प्लान

1- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:

- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

2- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोन की सुधार योजनाएं तैयार की जाएं और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

3- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने के पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे, प्रकाशित करेगा।
- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित

है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

4- मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

5- मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बताते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बताते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जाएगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)
RULES, 1962**

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 page 118.]

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959) the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement:-

- (1) These may be called “The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962”.
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

- (1) “Act” means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).
- (2) “Trust” means a Trust as constituted under the Act,
- (3) “Section” means a Section of the Act,
- (4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (1):-

- ¹[“(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form ‘A’ in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area invitation suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan]².

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following Maps, Plans and Documents, namely:-
- a. Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.
 - b. Base map showing the General existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
 - c. Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
 - d. Written analysis and written statement to support the proposals.
 - e. Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6:-

- ¹[(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 of the Act finalise the Master Plan and submit the same ²[if constituted] to the State Government for approval.
- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.”]

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(125)नविवि / 3 / 2010

जयपुर दिनांक: 20 जूलाई 2010

—:अधिसूचना:—

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को मूण्डवा (जिला-नागौर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

राजस्व ग्राम का नाम		
क्र. सं.	ENGLISH	हिन्दी
1.	MUNDWA	मूण्डवा
2.	BHADANA	भडाना
3.	ROOPASAR	रूपासर
4.	INANA	ईनाणा
5.	KHEN	खैण
6.	KHARDA	खारड़ा
7.	SOLIYANA	सोलियाना
8.	PALARI PICHKIYAN	पालड़ी पिचकियान

राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -

(पुरुषोत्तम बियाणी)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.10(125)नविआ/3/2010

जयपुर, दिनांक : 18 सितम्बर, 2012

:-अधिसूचना:-

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत् यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.07.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित "मूण्डवा, (जिला-नागौर) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, मूण्डवा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0/-

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

शासन उप सचिव-प्रथम